कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

एवं

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

75 वर्ष संविधान के

चिनार ध्वनि

पंचम अंक-2024

चिनार ध्वनि

कार्यालयीन हिंदी गृह-पत्रिका

वर्ष-2024

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

एवं

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) जम्मू एवं कश्मीर का संयुक्त अंक

अंक	:	पंचम अंक
प्रकाशक	:	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर
मूल्य	:	राजभाषा के प्रति निष्ठा
मुख्य पृष्ठ	:	शिकारा
अंतिम पृष्ठ	:	हस्तनिर्मित चित्र
संपर्क सूत्र		हिंदी अनुभाग, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा/लेखा एवं हकदारी) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

चिनार ध्वनि-परिवार

मुख्य संरक्षक

श्री जे.पी.एन. सिंह प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	श्री के.पी. यादव प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

परामर्शदाता

श्री मुकेश कुमार ब्रम्हने, वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए.एम.जी-3) लेखापरीक्षा कार्यालय

श्री अंकुश कुमार, उप महालेखाकार (प्रशासन/ए.एम.जी-1) लेखापरीक्षा कार्यालय

श्री पवन कुमार राठी, उप महालेखाकार (प्रशासन/पेंशन) लेखा एवं हकदारी कार्यालय

संपादक-मण्डल	
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
श्री गिर्राज प्रसाद मीना, सहायक निदेशक (राजभाषा)	
श्री विक्रम सिंह, वरिष्ठ अनुवादक	श्री सतीश कुमार, वरिष्ठ अनुवादक
श्री दीपक कुमार, कनिष्ठ अनुवादक	श्री मनदीप, कनिष्ठ अनुवादक

अस्वीकरण (डिसक्लेमर)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की संयुक्त पत्रिका 'चिनार ध्वनि' का मूल उद्देश्य राजभाषा का प्रचार-प्रसार करना है। 'चिनार ध्वनि' पत्रिका में प्रकाशित रचनाएं लेखकों के अपने निजी विचार हैं। यह आवश्यक नहीं है कि 'चिनार ध्वनि' पत्रिका के संपादक मंडल की उनसे सहमति हो, अतः पत्रिका में व्यक्त विचारों के लिए कार्यालय और 'चिनार ध्वनि' पत्रिका का संपादक मंडल किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। रचनाओं की मौलिकता एवं उसमें प्रयुक्त शब्दों के लिए भी रचनाकार स्वयं उत्तरदायी है।

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	शीर्षक	रचनाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पृष्ठ संख्या
1.	हिंदी दिवस 2024 के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का संदेश	-	7-9
2.	कार्यालय के उच्चाधिकारियों के संदेश	-	10-15
3.	संपादक मण्डल की कलम से	-	16
4.	"चिनार ध्वनि" के चतुर्थ अंक हेतु प्राप्त विभिन्न कार्यालयों की प्रशंसा/प्रतिपुष्टि	-	17-21
5.	वादी में खामोशी	के.पी.यादव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	22
6.	अलविदा दादी	नीलकमल सैनी पत्नी श्री पंकज सैनी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	23-24
7.	गीता सच्ची जीवन शैली की प्रेरणा है	सहदेव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	25
8.	पिता	शेख शफाअत हुसैन, सहायक पर्यवेक्षक	26
9.	होती अगर किस्मत	इज़हार अहमद शाह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक	27-28
10.	समय का मूल्य	नीलोफर तब्बसुम, वरिष्ठ लेखाकार	29
11.	असफलताएँ सफलता के आधार है	नीलोफर तब्बसुम, वरिष्ठ लेखाकार	29
12.	माँ की ममता	मसरत हसन, लेखाकार	30
13.	मुख्य किरदार का कत्ल	कृष्ण कुमार, लेखापरीक्षक	31-32
14.	स्मृतियाँ एवं संघर्ष	हेमन्त गोयल, लेखापरीक्षक	33
15.	जम्मू में बावे वाली माता	कुलदीप कुमार, लिपिक	34
16.	क्या मोबाइल एक आवश्यक बुराई है?	गिर्राज प्रसाद मीना, सहायक निदेशक (राजभाषा)	35-37
17.	धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए सत्यनिष्ठा की भूमिका	संदीप वर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	38-41
18.	विश्व पटल पर हिंदी	विक्रम सिंह, वरिष्ठ अनुवादक	42-45
19.	पिंकू जी	सतीश महानूरी, से.नि. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	46-47
20.	स्थानांतरण-एक त्रासदी	दीपक कुमार, कनिष्ठ अनुवादक	48-50
21.	विवेक जागरूक रखना	रमेश कौल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	51-52
22.	कृषि	प्रवेश डागर, लेखाकार	53-55
23.	महिला सशक्तिकरण	प्रवेश डागर, लेखाकार	56-59
24.	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसः भविष्य की ओर एक कदम और	नीरज जांगिड़, लेखाकार	60-62
25.	विश्लेषक	दीपक कुमार, कनिष्ठ अनुवादक	63-64
26.	कश्मीर में पर्यटन	मसरत हसन, लेखाकार	65

27.	पर्यावरण, हम और वो (पूँजीवाद)	अनूप कुमार, सहायक लेख अधिकारी	66
28.	प्रवासी भारतीय: अर्थव्यवस्था तथ हिंदी के विकास में योगदान	सतीश कुमार, वरिष्ठ अनुवादक	67-69
29.	मेरो नाम खीम बहादुर राना	खीम बहादुर राना, एम.टी.एस.	70
30.	दोनों कार्यालयों की हिंदी पखवाड़ा-2024 की कुछ झलकियां	-	71-72
31.	चिनार ध्वनि के चतुर्थ अंक के विमोचन की कुछ झलिकयां		73
32.	दोनों कार्यालयों की हिंदी पखवाड़ा-2024 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं की सूची	-	74-77
33.	शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लेखापरीक्षा अधिदेश और कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श हेतु आयोजित कार्यशाला	-	78-79
34.	प्रशासनिक शब्दावली	-	80-81
35.	राजभाषा नीति	-	82-88
36.	दोनों कार्यालयों के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची	-	89-91
37.	स्वतंत्रता दिवस की कुछ झलकियां	-	92-93
38.	रामबन में आयोजित पेंशन अदालत	-	94-95
39.	शोपियां में आयोजित पेंशन अदालत	-	96-97
40.	लेखापरीक्षा दिवस-2024 की कुछ झलकियां	-	98
41.	हस्त निर्मित चित्र	इशिता राठी सुपुत्री श्री पी. के. राठी, उप महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी)	99
42.	हस्त निर्मित चित्र	परिणीति रेवाड़िया सुपुत्री श्री दीपक कुमार कनिष्ठ अनुवादक	अंतिम पृष्ठ

हिंदी दिवस 2024 के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का संदेश

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

प्रिय देशवासियो।
आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

इस वर्ष का हिंदी दिवस समारोह विशेष है, क्योंकि 14 सितंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि राजभाषा विभाग द्वारा इसे राजभाषा हीरक जयंती के रूप में मनाया जा रहा है।

भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पुरातन सभ्यता और भाषिक विविधता के लिए दुनिया में विशिष्ट स्थान रखता है। क्षेत्रीय भाषाओं ने हमारी अतुलनीय सांस्कृतिक विविधता को आगे बढ़ाने और देशवासियों को भारतीयता के अटूट सूत्र में पिरोने का काम किया है। अतः हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को भारतीय अस्मिता का प्रतीक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर विशेष बल दिया गया था। हिंदी ने तब से लेकर आज तक देश की विविधता में एकता स्थापित करने और सामूहिक सद्भावना को सुदृढ़ करने का महती कार्य किया है। हिंदी की इसी शक्ति के कारण उन दिनों हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने वालों में लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाषवन्द्र बोस, राजगोपालाचारी एवं अन्य गैर-हिंदीभाषी महानुभावों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आजादी के बाद हिंदी की इसी सर्वसमावेशी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रमुख भारतीय भाषाओं को स्थान दिया।

हिंदी एक ऐसी भाषा है, जिसमें आपको देश की कई भाषाओं के तत्व मिल जाएँगे। इसका इतिहास लिखने वालों ने तो रासो ग्रंथों, सिद्धों-नाथों की वाणियों से लेकर भक्तिकाल के संत कवियों और खड़ी बोली तक इसकी परम्परा को माना है। कवि चंदबरदाई से लेकर महाकवि विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आंडाल, गुरु नानकदेव जी, संत रैदास, कबीरदास जी से लेकर का कई साहित्यकारों भाषाविदों ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी का मार्ग प्रशस्त किया। इसके विकास में उन असंख्य लोकभाषाकारों का भी अमूल्य योगदान है, जो गायन-वादन के द्वारा इस भाषा

के आदिरुपों को जन-जन तक पहुँचाते रहे। हिंदी भाषा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, हरियाणवी राजस्थानी, मेवाती, गुजराती, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कुँमाउनी, गढ़वाली जैसी मातृभाषाओं के समन्वित रूप से ही तो बनी है। मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा इन मातृभाषाओं को अक्षुण्ण रखते हुए आगे बढ़ रही है और लगातार विकसित हो रहीं है। आज जब राजभाषा के रूप में हिंदी अपनी 75वीं वर्षगांठ पूरी कर रही है, तब हमें इसका यह इतिहास जरूर याद रखना साहिए।

14 सितंबर, 1949 से लेकर लगातार राजभाषा के रूप में हिंदी के संवर्धन के अनेक काम हुए हैं। राजभाषा विभाग की विशाल यात्रा को पीछे मुड़ कर देखें, तो हमें कई महत्वपूर्ण पड़ाव दिखाई देते हैं, जहाँ इस विभाग ने जिम्मेदारीपूर्वक सरकारी तंत्र को भाषिक चेतना के प्रति प्रेरित किया है।

साल 1977 में श्रद्धेय बटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन विदेश मंत्री के रूप में पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित कर राजभाषा का मान बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी भाषा में संबोधन देते हैं और भारतीय भाषाओं के उद्धरण देते हैं, तो समूचे देश में अपनी भाषा के प्रति गौरव के भाव को और बल मिलता है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने राजभाषा को और भी समृद्ध व सक्षम बनाने के हर संभव कार्य किए हैं। 2018 में अनुवाद टूल कंटस्थ का लोकार्पण हो, 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को विशेष महत्व देने की अनुशंसा हो, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की सूची में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल करने के लिए विधेयक पारित करना हो, 2022 में हिंदी दिवस पर कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण हो या साल 2021 से हर साल हिंदी दिवस पर 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करना हो, सरकार राजभाषा व भारतीय भाषाओं के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। साथ ही संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन का 12वाँ खंड भी माननीय राष्ट्रपति महोदया को सौंप दिया है।

राजभाषा में कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु हमने साल 2022 से संशोधित राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना भी शुरू की है जिसके तहत ज्ञान-विज्ञान, अपराध शास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर एवं विधि के क्षेत्र में राजभाषा में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु पुरस्कार दिए जाते है। साथ ही राजभाषा विभाग ने डिजिटल शब्दकोश हिंदी शब्द सिंधु' का निर्माण भी किया है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन-जन तक संवाद स्थापित करते हुए राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित की जाए। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम व्यापक रूप से सरल और सहज भाषा का प्रयोग करके राजभाषा और जनभाषा के बीच की दूरी को पाटें, ताकि देश के हर वर्ग का नागरिक देश की प्रगति से परिचित भी हो और लाभान्वित भी। इस तरह 'आत्मनिर्भर भारत' व 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी भारतीय भाषाओं की सशक्त भूमिका रहने वाली है।

मुझे विश्वास है कि हिंदी दिवस एवं राजभाषा हीरक जयंती समारोह मातृभाषाओं के प्रति राजभाषा विभाग की प्रतिवद्धता को और भी ऊँचाई देने का सार्थक माध्यम बनेगा। मैं राजभाषा विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

वंदे मातरम।

नई दिल्ली 14 सितंबर, 2024 (अमित शाह)

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे कार्यालय द्वारा वार्षिक हिंदी पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के पंचम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में कार्यालयीन पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह कार्मिकों की हिंदी भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने एवं राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक काम करने हेतु एक प्रेरक माध्यम है।

भारत जैसे भाषिक विविधता वाले देश में हिंदी एक सेतु का कार्य करती है जो हम सभी को एकता के सूत्र में बांधती है। यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम सब अपना कार्यालयीन काम हिंदी में करें। हिंदी हमारे लिए केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब भी है।

मुझे विश्वास है कि 'चिनार ध्वनि' का यह अंक भी हिंदी के प्रचार-प्रसार में प्रेरणादायक सिद्ध होगा। पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादक मंडल एवं पत्रिका परिवार से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

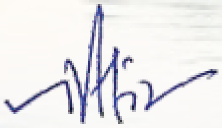

जे.पी.एन. सिंह
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

संदेश

हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने की हीरक जयंती पर मैं कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। आज से 75 वर्ष पूर्व भारत की संविधान सभा ने परंपरा, संस्कृति, सभ्यता और स्वाधीनता के भाव की वाहक हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। हमारी धरोहर हिंदी दीर्घकाल से जन-जन के पारस्परिक संपर्क की भाषा रही है।

इस हीरक जयंती वर्ष में कार्यालय की गृह पत्रिका "चिनार ध्वनि" का प्रकाशन होना अत्यंत हर्ष का विषय है। विगत कई वर्षों से इस कार्यालय द्वारा शासकीय कामकाज और आधिकारिक संप्रेषण में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कई सफल प्रयास किए गए हैं। मेरा यह मानना है कि मातृभाषा की उन्नति के बिना समाज की उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता है कि कार्यालय के अधिकतम कर्मचारी अब हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और कार्यालय में उसके अधिकाधिक प्रयोग को प्राथमिकता दी जा रही है।

"चिनार ध्वनि" के प्रकाशन के इस अवसर पर मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने दैनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग करें और हिंदी की अदम्यता और आभा से अपने जीवन को सुशोभित करें।

पत्रिका की निरंतर प्रगति हेतु शुभकामनाओं सहित।

के.पी. यादव
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

संदेश

संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किए जाने को इस वर्ष 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस कारण से इस वर्ष कार्यालय की गृह पत्रिका "चिनार ध्वनि" का प्रकाशन होना अत्यंत हर्ष का विषय है।

हिंदी की सरल, सहज और सर्वसमावेशी प्रकृति इसे विशेष बनाती है। शिक्षा, शोध, व्यापार एवं रोज़गार समेत विभिन्न क्षेत्रों में आज व्यापक स्तर पर हिंदी का प्रयोग हो रहा है। सूचना, प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के युग में हिंदी अपना प्रभाव दिखा रही है जिसका श्रेय विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी को जाता है। आज के इस तेजी से बदलते समय में भी उन्होंने हिंदी की मूल भावना और अस्तित्व को बनाए रखा है।

हिंदी के प्रचार-प्रसार और संवर्धन के लिए दोनों कार्यालयों (लेखापरीक्षा तथा लेखा एवं हकदारी) द्वारा "चिनार ध्वनि" का प्रकाशन सराहनीय है। आशा करता हूँ कि दोनों कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का हिंदी के प्रगामी प्रयोग में सतत योगदान मिलता रहेगा। इस विश्वास के साथ पत्रिका के सफल प्रकाशन की हार्दिक शुभकामनाएं।

मुकेश कुमार ब्रम्हने
वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-3)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

संदेश

संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किए जाने को इस वर्ष 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर कार्यालय की गृह पत्रिका "चिनार ध्वनि" का प्रकाशन होना अत्यंत प्रसन्नता का विषय है।

हिंदी भाषा अपनी प्रवृत्ति से ही सर्वसमावेशी रही है और इस भाषा ने स्वाधीनता संग्राम के मुश्किल दिनों में देश की प्रमुख भाषाओं के शब्दों और भंगिमाओं को आत्मसात कर मज़बूत संपर्क भाषा की भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हिंदी की समावेशी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था।

राजभाषा की हीरक जयंती के इस पावन अवसर पर दोनों कार्यालयों (लेखापरीक्षा तथा लेखा एवं हकदारी) द्वारा संयुक्त रुप से प्रकाशित की जा रही गृह पत्रिका "चिनार ध्वनि" के लिए दोनों कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि पत्रिका में प्रकाशित सामग्री राजभाषा हिंदी को लोकप्रिय बनाने और इसके व्यापक प्रयोग के संबंध में उपयोगी सिद्ध होगी।

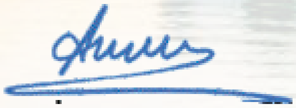

अंकुश कुमार
उप महालेखाकार (प्रशासन/ए.एम.जी-1)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी कार्यालयीन हिंदी पत्रिका ‘चिनार ध्वनि’ के पंचम अंक का प्रकाशन हो रहा है। यह पत्रिका न केवल कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की रचनात्मकता को उजागर करती है बल्कि यह हमारे संवैधानिक दायित्व को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है।

राजभाषा नीति का अनुपालन एवं सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यालय निरंतर प्रयासरत है और इसी क्रम में वार्षिक हिंदी पत्रिका ‘चिनार ध्वनि’ का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं हमारे सहकर्मियों की रचनात्मक प्रतिभा एवं उनकी सृजनशीलता का दर्पण है।

पत्रिका में योगदान देने वाले सभी रचनाकारों को धन्यवाद एवं संपादक मंडल और पत्रिका परिवार को हार्दिक बधाई तथा पत्रिका के आगामी अंको के लिए शुभकामनाएं।

पवन कुमार राठी
उप महालेखाकार (प्रशासन/पेंशन)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

संदेश

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष यह विशेष अवसर है जब संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किए जाने को इस वर्ष 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर कार्यालय की गृह पत्रिका "चिनार ध्वनि" का प्रकाशन होना अत्यंत हर्ष का विषय है।

गृह पत्रिका में दोनों कार्यालयों (लेखापरीक्षा तथा लेखा एवं हकदारी) के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रचित हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों, आत्मवृतों, कविताओं आदि का संकलन किया गया है। पत्रिका के प्रकाशन के लिए बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया के रूप में बड़ी संख्या में लेख प्राप्त हुए जोकि सराहनीय है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि पत्रिका के प्रकाशन के माध्यम से हिंदी के संवर्धन और विकास में सहायता मिलेगी। मैं सभी रचनाकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि पत्रिका के प्रकाशन से दोनों कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा।

(जगबीर सिंह)
उप महालेखाकार (एएमजी-2)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
जम्मू एवं कश्मीर, शाखा कार्यालय जम्मू

संपादक मण्डल की कलम से

प्रिय पाठक............

हमारे कार्यालय की गृह पत्रिका '**चिनार ध्वनि**' के नवीन अंक को आप सब के समक्ष रखते हुए हमें अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस अंक को प्रकाशन तक पहुँचाने में हमें अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिला है जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि यह सहयोग हमें आगे भी इसी प्रकार मिलता रहेगा।

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यालयीन हिंदी पत्रिका न केवल एक सशक्त माध्यम है बल्कि कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हिंदी प्रेम का प्रतीक भी है। हमारे कार्यालय में अधिकतर गैर-हिंदी भाषी होने के बाद भी उनकी हिंदी के प्रति निष्ठा उनके द्वारा सृजित रचनाओं के माध्यम से पत्रिका में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। साथ ही पत्रिका कार्यालय की वार्षिक गतिविधियों को भी परिलक्षित करती है।

चिनार के वृक्ष की घनी छाया की भांति हमारी यह पत्रिका अनेक संस्कृतियों एवं अनेक राज्यों से आए हुए कार्मिकों को राजभाषा एवं साहित्यिक हिंदी के प्रयोग का संबल प्रदान करती है। चिनार ध्वनि का यह प्रयास है कि हमारी पत्रिका में जम्मू एवं कश्मीर राज्य की झलकियों के साथ- साथ कार्यालयीन गतिविधियों की जानकारी भी आप सभी पाठकों को प्राप्त हो।

अंत में सभी रचनाकारों, पत्रिका के सभी सदस्यों को '**चिनार ध्वनि**' के सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं देते हुए पाठकों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने बहुमूल्य विचार एवं सुझावों से हमें अवश्य अवगत कराएं।

'**चिनार ध्वनि**' का यह नवीन अंक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सादर प्रेषित है।

सम्पादक मण्डल

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
महानिदेशक लेखा परीक्षा का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली
NORTHERN RAILWAY, BARODA HOUSE, NEW DELHI – 110001

सं. हिन्दी /17-18/2015/पत्रिका-I दिनांक

सेवा में ,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिन्दी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
प्रधान लेखाकार
जम्मू एवं कश्मीर

विषय:- हिन्दी पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के चतुर्थ अंक की प्राप्ति पर सम्मति पत्र के प्रेषण के संबंध में ।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक गृह पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के चतुर्थ अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई। सहर्ष धन्यवाद।

पत्रिका का आवरण व पृष्ठ सज्जा अत्यंत आकर्षक व सुंदर है। पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएँ पठनीय व ज्ञानवर्धक है। **कश्मीर घाटी: अद्वितीय प्राकृतिक सौन्दर्य की धारा, कुदरत, पानी की तान का महत्व, अस्पष्ट औचित्य, वक्त, नया साल आया है, रद्दी को समझा जाए** विशेष रूप से उल्लेखनीय व रोचक रचनाएँ है।

पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ।

भवदीया

हिन्दी अधिकारी

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II),
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM – 695 001

सं.लेप.II/हिंदी कक्ष/पत्रिका/2024-25 दिनांक: 01.10.2024

सेवा में,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/हिंदी प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा)
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

विषय:- पत्रिका की पावती – बाबत्

महोदय,

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) एवं (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित हिंदी गृह पत्रिका "चिनार ध्वनि" के चतुर्थ अंक की प्रति प्राप्त हुई, तदर्थ धन्यवाद । इस पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ रोचिक, ज्ञानपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण हैं । विशेषकर सुश्री [illegible] द्वारा रचित लेख 'जीवन' तथा श्री के.पी. यादव द्वारा रचित कविता 'रद्दी को समझा जाए' तथा श्री जितेन्द्र [illegible] द्वारा रचित कविता "वीर अभिमन्यु" अत्यंत सराहनीय हैं । सार्थक रचनाओं के चयन हेतु बधाई ।
पत्रिका को सुरुचिपूर्ण एवं उपयोगी बनाने के लिए संपादक मंडल को बधाई । पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ ।

भवदीय,

Signed by S S Kannan
Date: 03-10-2024 12:34:55
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी हिंदी कक्ष

Phone: [illegible] e-mail: [illegible] Fax: [illegible]

कार्यालय- प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर
O/o the Principal Accountant General
(Audit)-II, Maharashtra, Nagpur-440001

सं.हिंदी अनुभाग/प्रतिक्रिया/20/2024-25/आ.क्र. 66 दिनांक: -13/09/2024

सेवा में,
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हिंदी प्रकोष्ठ)
कार्यालय- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

विषय:- हिंदी पत्रिका "चिनार ध्वनि" के चतुर्थ अंक की प्रतिक्रिया के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका "चिनार ध्वनि" के चतुर्थ अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, सधन्यवाद । पत्रिका में समाविष्ट सभी लेख, कविताएं, उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धक है। विशेषकर निम्नलिखित रचनाएँ उल्लेखनीय एवं सराहनीय है।

क्र	नाम	रचनाएँ
1.	श्री के. पी. यादव, प्रधान महालेखाकार	रद्दी को समझा जाए
2.	श्री विक्रम सिंह, व. अनुवादक	अल्फ़ाज़ का असूल महोदयाओं और हिंदी का विकास
3.	सुश्री आकांक्षा, स.ले.प.अ.	अंतिम: भारतीय शासन कला का विकास
4.	श्री जितेंद्र अवस्थी, लेखाकार	वीर अभिमन्यु

पत्रिका का मुखपृष्ठ अत्यंत आकर्षक है। पत्रिका के रचनाकारों एवं संपादक मंडल को सफल संपादन तथा प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे कार्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,
DINESH

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) उत्तराखण्ड
'महालेखाकार भवन', कौलागढ़, देहरादून–248195

पत्रांक26/हि0अनु0/2024–25/विभागीय पत्रिकाएं/222 दिनांक03.10.2024

सेवा में,
व0 लेखाधिकारी/हिंदी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर।

विषय– हिंदी गृह पत्रिका चिनार ध्वनि के चतुर्थ अंक की प्राप्ति के संबंध में।

महोदय,

आपके कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका चिनार ध्वनि के चतुर्थ अंक की प्राप्ति हुई है। सहर्ष धन्यवाद।

पत्रिका में सम्मिलित सभी रचनाएं उच्चकोटि की एवं ज्ञानवर्धक है। प्रस्तुत अंक सराहनीय, पठनीय एवं संग्रहणीय है तथा राजभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति हेतु एक सार्थक प्रयास है।

पत्रिका के उत्तम संयोजन, संपादन हेतु संपादक मण्डल को बधाई तथा पत्रिका की अविरल प्रगति एवं विकास हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीया

03/10/24
हिंदी अधिकारी

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: रा.भा.अ./एच-11005/02/2024-25/ दिनांक:25-09-2024

सेवा में,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (हिंदी प्रकोष्ठ),
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

विषय :- हिंदी गृह-पत्रिका "चिनार ध्वनि" के चतुर्थ अंक पर अभिमत - संबंधित।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित **हिंदी गृह-पत्रिका "चिनार ध्वनि"** के चतुर्थ अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई। आपकी पत्रिका के आकर्षक आवरण पृष्ठ के साथ-साथ इसकी साज-सज्जा सुंदर है और रचनाओं की विषयवस्तु भी प्रशंसनीय है।

"चिनार ध्वनि" के संपादक मंडल एवं सभी रचनाकारों को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई तथा पत्रिका की प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

WAZIR SINGH
हिंदी अधिकारी
(ई-मेल-rajbhasha.raj2.au@cag.gov.in)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा,
प्लॉट नं. 5, सैक्टर 33-बी,
दक्षिण मार्ग, चण्डीगढ़-160 020
OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), HARYANA
PLOT NO.5, SECTOR 33-B,
DAKSHIN MARG, CHANDIGARH-160 020

सत्यमेव जयते

क्रमांक/No.: हिंदी कक्ष/पत्रिका/प्रतिक्रिया/2024-25/185 दिनांक/Dated:19.09.2024

सेवा में,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/हिंदी प्रकोष्ठ,
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

विषय: **हिंदी गृह पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के चतुर्थ अंक का प्रेषण।**

महोदय,

ई-मेल द्वारा दिनांक 14.09.2024 को आपके कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के चतुर्थ अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई है। एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएं उत्तम कोटि की हैं। 'आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी का विकास', 'कश्मीर घाटी: अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य की धरा', 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक: इतिहास, चुनौतियाँ और सुधार', 'कौटिल्य: भारतीय शासन कला का विश्लेषण' एवं 'वीर अभिमन्यु' आदि रचनाएं विशेष रूप से सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। उत्तम संयोजन एवं संपादन के लिए संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं।

पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,

हिंदी अधिकारी
(हिंदी कक्ष)

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), चेन्नै का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL), CHENNAI
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 018
Lekha Pariksha Bhavan, 361, ANNA SALAI, CHENNAI – 600 018

सं महानिदे(के) /हिंदी अनुभाग/14-02/2024-25/112 दिनांक : 10.10.2024

सेवा में,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ हिंदी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम),
ओडिशा,
भुवनेश्वर- 751001

विषय : हिंदी पत्रिका **"चिनार ध्वनि"** के चतुर्थ अंक की प्राप्ति के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका **"चिनार ध्वनि"** का चतुर्थ अंक इस कार्यालय में मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ । धन्यवाद ।

पत्रिका की साज-सज्जा आकर्षक एवं सटीक है । पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ सराहनीय, रोचक, ज्ञानवर्धक एवं रोचक हैं । सभी रचनाएं एक से बढ़कर एक हैं विशेषतः सुश्री अनामिका मिश्रा कृत **"औरत"**, श्री जगराम सिंह कृत **"भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक: इतिहास, चुनौतियाँ और सुधार"** एवं सुश्री सुमन कुमारी कृत **"वक्त"** अत्यंत प्रशंसनीय एवं सराहनीय है ।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए सभी रचनाकार एवं संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं ।

भवदीय,

Signed by N Sridhar
Date: 10-10-2024 16:37:50
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संख्या/No. प्रशा/महानि.लेखा/मु.अ.स./हिंदी अनु/2024/045
भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (अवसंरचना), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (INFRASTRUCTURE), DELHI
दिनांक/Dated: 21/10/2024

सेवा में

[illegible]

विषय: हिंदी पत्रिका **चिनार ध्वनि** के चतुर्थ अंक के प्रेषण की प्राप्ति के संबंध में।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित राजभाषा हिंदी की वार्षिक पत्रिका **चिनार ध्वनि** के चतुर्थ अंक की ई-प्रति दिनांक 12.09.2024 को [illegible]

भवदीय,

[illegible]
हिंदी अधिकारी
महानिदेशक लेखापरीक्षा(अवसंरचना) का कार्यालय, नई दिल्ली

तृतीय तल, ए-खण्ड, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), लखनऊ

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Principal Director of Audit (Central) Lucknow

पत्रांक: प्र.नि.(के.)/प्रशासन/रा.भा.हि.प.स.82047/2024-25/1736889/2024 दिनांक:18-09-2024

सेवा में,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी / हिंदी प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), जम्मू एवं कश्मीर
श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर

विषय:-संयुक्त हिंदी गृह पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के चतुर्थ अंक की ई-प्रति के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित संयुक्त हिंदी गृह पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के चतुर्थ अंक की ई- प्रति प्राप्त हुई है। एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका के माध्यम से राजभाषा हिंदी के सृजनात्मक उत्थान हेतु आपके कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया प्रयास अति सराहनीय है।

पत्रिका का यह अंक साज-सज्जा एवं मुद्रण संकलन के कारण बहुत ही आकर्षक एवं मनोहारी बन पड़ा है साथ ही पत्रिका में समाहित रचनाएं **"आजादी का अमृत महोत्सव और हिन्दी का विकास"**, **"भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक : इतिहास, चुनौतियाँ और सुधार"** एवं **"स्त्रों को मनाया जाए"** ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी एवं पठनीय हैं। पत्रिका में समाहित अन्य सभी रचनाएं अत्यंत प्रेरक, रोचिक एवं ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका के प्रकाशन हेतु संपादक मंडल एवं रचनाकारों का हार्दिक अभिनन्दन एवं शुभकामनाएँ।

भवदीय,

Signed by Rajesh Kumar Swyambhu
Date: 18-09-2024 10:31:47
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन

तृतीय तल, ऑडिट भवन, टी.सी.-35-वी-1, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.) दूरभाष : 0522-2875796, फैक्स : 0522-2875793 (रा.नि.)
3rd Floor, Audit Bhawan, T.C.-35-V-1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (U.P.) Phone: 0522-2875796,
Fax: 0522-2875793 (PD)

भारत सरकार/GOVT.OF INDIA
कार्यालय : प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओड़िशा, भुवनेश्वर- 751001
O/O THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), ODISHA, BHUBANESWAR-751001

सं.स.भा.भ.प.प्रति./37/2024-25/228 दिनांक:23.10.2024

सेवा में,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/हिंदी प्रकोष्ठ
कार्यालय- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
कार्यालय- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

विषय- संयुक्त हिंदी गृह पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के चतुर्थ अंक की पावती के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित होने वाली संयुक्त हिंदी गृह पत्रिका "चिनार ध्वनि" के चतुर्थ अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका की साज-सज्जा बहुत ही आकर्षक है। कार्यालयीन गतिविधियों के छायाचित्र अत्यंत मनमोहक हैं। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएँ भावपूर्ण, उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धक हैं। विशेष रूप से 'पीपल के पेड़', 'जीवन', 'आज के युग में आधुनिक विज्ञान और पारिवारिक संबंध', 'स्त्रों को मनाया जाए' आदि रचनाएं रोचक, सारगर्भित एवं प्रशंसनीय हैं। हिंदी भाषा के सृजनशीलता के उत्थान हेतु आपका प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है।

पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना सहित सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल संपादन हेतु हार्दिक बधाई।

भवदीय,

मनोरंजन पाणिग्रही
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (राजभाषा)

महालेखाकार (लेखा एवं हक) का कार्यालय
बीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार - 800001

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH
PATNA, BIHAR - 800001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

पत्रांक/Letter No. हिं.अ./ले. व हक./पत्रिका प्रतिक्रिया/24-25/
दिनांक/Date:- 22.10.2024

सेवा में,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/हिंदी प्रकोष्ठ,
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय की राजभाषा हिंदी गृह पत्रिका "चिनार ध्वनि" के चतुर्थ अंक की प्राप्ति हुई। पत्रिका का आवरण पृष्ठ अत्यंत ही मनमोहक है। पत्रिका विभिन्न विधाओं में लिखी गई स्वरचित रचनाओं का सुंदर संग्रह है, जिसमें संस्मरण, लेख, कविताएँ आदि शामिल हैं। सभी रचनाकार बधाई के पात्र हैं। आशा है कि यह पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की हिंदी की मौलिक लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने में प्रेरक की भूमिका निभाएगी।

पत्रिका के उत्तम संपादन हेतु पत्रिका परिवार बधाई का पात्र है। पत्रिका के सतत् प्रकाशन एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

सुनील कुमार
हिंदी अधिकारी/हिंदी अनुभाग

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
Director General of Audit, Central Expenditure (Environment and Scientific Departments)
Mumbai Branch
Contact No.: 022-2262-2903/ 2146/ 4609, Fax: 022-2262-2414

क्र.सं./XII(14)/विविध पत्रिकाएँ/भाग-III/2024-25/ दिनांक:

सेवा में,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ हिन्दी प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

विषय: हिन्दी पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के चतुर्थ अंक की ई-प्रति की पावती के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपके कार्यालय का ईमेल दिनांक: 12.09.2024 को संलग्न है। इस संबंध में आपके कार्यालय से हिन्दी पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के चतुर्थ अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, जिसके लिए यह कार्यालय आपका आभारी है।
पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। 'आज के युग में आधुनिक विज्ञान और पारिवारिक संबंध', 'जुगी गुजराती और कश्मीर की अनोखा विविधिता की कहानी', 'चिनार', 'पीपल के पेड़' आदि रचनाएं विशेष रूप से पठनीय एवं रोचिक हैं। पत्रिका के प्रकाशन हेतु संपादक मण्डल को बधाई एवं इसकी प्रगति और अगले अंक के प्रकाशन हेतु शुभकामनाएँ।

भवदीय

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ प्रशासन
Digitally signed by
Sudeb Sikder
Date: 04-11-2024 14:18:18

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) म.प्र.
53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल- 462011

क्र.हि.क./पा-7/ जावक - 38 दिनांक 08.10.2024

प्रति,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी / हिन्दी प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

विषय : हिन्दी गृह पत्रिका "चिनार ध्वनि" के चतुर्थ वें अंक की पावती बाबत।
संदर्भ : आपके पत्र ई-मेल पत्र दिनांक 12.09.2024

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के साथ आपके कार्यालय द्वारा "चिनार ध्वनि" के चतुर्थ वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, तदर्थ धन्यवाद। पत्रिका में सभी रचनाएँ प्रशंसनीय है विशेष तौर पर जीवन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक: इतिहास, चुनौतियाँ और सुधार, कौटिल्य: भारतीय शासन कला का विवरण, जूनी गुजरी और कश्मीर की महिला मिलिशिया (नागरिक सेना) की कहानी, स्टों को मनाया जाए, किरदार, कुदरत, आदि रचनाएँ सारगर्भित एवं सराहनीय हैं।

पत्रिका की साज-सज्जा उत्तम है। कार्यालयीन चित्रों ने पत्रिका की सुंदरता को और निखारा है। पत्रिका के कुशल तथा सफल संपादन हेतु संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई। पत्रिका के निरंतर उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं।

(हस्ताक्षर)
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिन्दी कक्ष

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),मेघालय, शिलांग-793001
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E) MEGHALAYA, SHILLONG - 793001
ईमेल E-mail: agaemeghalaya@cag.gov.in

संख्या/हिंदीप्रकोष्ठ/15/पत्रिका से संबंधित पत्राचार/2021/674 दिनांक: 23.10.2024

सेवा में,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/हिंदी प्रकोष्ठ,
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर।

विषय- हिंदी गृह पत्रिका - **चिनार ध्वनि** के चतुर्थ अंक की पावती के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12.09.2024, 3:39:39 अपराह्न को ई-मेल के माध्यम से आपके कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका - **चिनार ध्वनि** के चतुर्थ अंक की ई-प्रति इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, एतद् धन्यवाद। पत्रिका का बाह्य आवरण बहुत ही सुन्दर एवं आकर्षक है।

पत्रिका में प्रकाशित समस्त लेख एवं रचनाएं ज्ञानवर्धक, रोचक एवं सराहनीय है। पत्रिका के सफल संपादन हेतु संपादक मण्डल, लेखकों एवं रचनाकारों को हार्दिक बधाई। पत्रिका के समस्त लेख/रचनाएं प्रशंसनीय है, विशेष रूप से श्री के पी यादव द्वारा **"स्टों को मनाया जाए"**, श्री जितेन्द्र अवस्थी द्वारा **"पानी की तरह का महत्व"** एवं **"वीर अभिमन्यु"** रही है। श्रीमती आकांक्षा का **"कौटिल्य : भारतीय शासन कला का विवरण"**, श्री एम. ए. चंदोरी का **"जूनी गुजरी और कश्मीर की महिला मिलिशिया (नागरिक सेना) की कहानी"**, श्री संदीप शर्मा का **"किरदार"**, श्री राहुल यादव का **"जीवन गाथा"**, श्री रमन कटोरिया द्वारा **"हस्तलिखित चित्र"** आदि रोचक एवं प्रशंसनीय हैं।

आपके कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका - चिनार ध्वनि के अंतिम अंक तथा इसके निरंतर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
हिंदी अधिकारी

सं.प्र.म.ले.(लेप-II,)/हि.अ./7-38/ प्रशंसा पत्र /2024-25/55 दिनांक: 04.11.2024

सेवा में,
श्री रविंद्र पहलवान
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/हिंदी प्रकोष्ठ,
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा),
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

विषय: हिंदी ई-पत्रिका "चिनार ध्वनि" के चतुर्थ अंक की अभिस्वीकृति।
महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित संयुक्त हिंदी गृह पत्रिका "चिनार ध्वनि" के चतुर्थ अंक की ई- प्रति प्राप्त हुई। इसके लिए धन्यवाद।

पत्रिका में प्रकाशित समस्त लेख, कविता, कहानी, जीवनी, एकांकी, यात्रा-वृत्तांत आदि उत्कृष्ट, पठनीय, रोचक एवं सूचनात्मक हैं। पत्रिका का आवरण, साज-सज्जा सभी आकर्षक है। श्री.जीनेंद्र खान का लेख 'आज के युग में आधुनिक विज्ञान और पारिवारिक संबंध', सुश्री. आकांक्षा का लेख 'कौटिल्य: भारतीय शासन कला का विवरण', श्री के. पी. यादव की कविता 'स्टों को मनाया जाए', श्री. सैय्यद सफाअत हुसैन की कविता 'कुदरत' एवं श्री.राहुल यादव की कविता 'जीवन गाथा' बहुत ही अच्छा लगा। सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल का प्रयास सराहनीय है। पत्रिका की बहुमुखी विकास के लिए अनंत शुभकामनाएं।

भवदीय,

वी.चित्रा
हिंदी अधिकारी,
कार्यालय प्र.म.ले.(लेप.-II),तमिलनाडु & पुदुचेरी

चेन्नई-18
V. Chitra
Hindi officer,
O/o Principal Accountant General(Audit-II) TN & PY,
Chennai-18

कार्यालय: उपनिदेशक,वित्त एवं संचार लेखा परीक्षा कार्यालय, बेंगलूरु
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR
FINANCE & COMMUNICATION AUDIT OFFICE, BENGALURU

सं.हि.क./वि.सं.ले.प./2024-25/96 दिनांक 26.11.2024
सेवा में,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
श्रीनगर - 190001

विषय – हिंदी गृह पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के चतुर्थ अंक की पावती।
संदर्भ – ई-मेल पत्र दिनांकित 12/09/2024

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु प्रकाशित हिंदी गृह पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के चतुर्थ अंक की एक ई-प्रति प्राप्त हुई। श्री उमाकांत सिंह का लेख 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक: इतिहास, चुनौतियाँ और सुधार', श्री एम.ए.चंदोरी का लेख 'जूनी गुजरी और कश्मीर की महिला मिलिशिया (नागरिक सेना) की कहानी', श्री जितेन्द्र अवस्थी की कविता 'वीर अभिमन्यु', श्री रमन कटोरिया की कविता 'पुरानी यादें', तथा सुश्री सुमन कुमारी की कविता 'दर्द' आदि रचनाएँ सराहनीय हैं। अन्य सभी रचनाएँ भी पठनीय एवं विचारणीय हैं।

आशा करती हूँ कि पत्रिका की गुणवत्ता एवं रचनात्मकता में उत्तरोत्तर प्रगति जारी रहेगी।

धन्यवाद।

भवदीय,
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

Director General of Commercial Audit, Mumbai
Indian Audit & Accounts Department
C-25 Audit Bhawan, 8th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai-400 051

सं. डीजीसीए /गृ.प./हिंदी पत्रिका/723 दिनांक 02/12/2024

सेवा में,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/हिंदी प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर - 190001

विषय: हिंदी गृह पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के चतुर्थ अंक के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के चतुर्थ अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, तदर्थ धन्यवाद। पत्रिका आवरण पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक अत्यंत आकर्षक है। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं रोचक एवं ज्ञानवर्धक तथा उच्च कोटि की है। विशेषकर निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाएं सराहनीय है:-

क्र.सं.	रचनाकार	रचना
1.	श्री के.टी. [illegible]	[illegible]
2.	श्री विक्रम सिंह	आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी का विकास
3.	श्री जावेद खान	आज के युग में आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक संबंध
4.	श्री संदीप शर्मा	विरासत
5.	श्री [illegible] कुमार [illegible]	[illegible]
6.	श्री राहुल यादव	जीवन राग

विभिन्न गतिविधियों से संबंधित तस्वीरों का प्रस्तुतिकरण सराहनीय है। पत्रिका प्रकाशन के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ पत्रिका के कुशल संपादन एवं प्रकाशन के लिए संपादक मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

From: "Hindi Cell AE KERALA" <hindicell.ker.ae@cag.gov.in>
To: "PAG Audit Jammu and Kashmir and Ladakh" <agaujammukashmir@cag.gov.in>
Sent: Monday, January 27, 2025 4:31:44 PM
Subject: हिंदी गृह पत्रिका चिनार ध्वनि के चतुर्थ अंक की प्राप्ति के संबंध में।

महोदय/महोदया,

विषय :- हिंदी गृह पत्रिका **'चिनार ध्वनि'** के **'चतुर्थ'** अंक की प्राप्ति के संबंध में।
संदर्भ :- आपके कार्यालय के ई-मेल दिनांक 12.09.2024.

आपके कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के **'चतुर्थ'** अंक की प्राप्ति हुई, इसके लिए धन्यवाद। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ रोचक, ज्ञानवर्धक एवं प्रशंसनीय हैं।

इस पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी रचनाकार एवं संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं। पत्रिका 'चिनार ध्वनि' की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

भवदीय,
ह.
हिंदी अधिकारी

सेवा में,
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / हिंदी प्रकोष्ठ ,
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) जम्मू एवं कश्मीर,
श्रीनगर।

विषय: हिन्दी गृह पत्रिका "चिनार ध्वनि" के चतुर्थ संस्करण की प्राप्ति के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर द्वारा प्रकाशित"चिनार ध्वनि" के चतुर्थ संस्करण की ई-प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका में समाविष्ट रचनाएँ सराहनीय हैं। पत्रिका का आवरण पृष्ठ भी अत्यंत मनोहर है। राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए व पत्रिका के प्रकाशन हेतु आपका पत्रिका परिवार विशेष बधाई का पात्र है।

'चिनार ध्वनि' पत्रिका के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं सहित
।

भवदीया,
मौसमी चौधरी,
हिन्दी अधिकारी,

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), असम

वादी में खामोशी

के.पी.यादव
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

वादी में ख़ामोशी क्यों है
कोई तो बात है
चिनार के पत्ते भी चुपचाप हैं
कोई तो वारदात है।

डल झील की गोद क्यों सूनी है
शिकारों की रफ्तार किसने छीनी है
वीरान दिल की महफिल क्यों उदास है
कोई तो बात है
छोटी नहीं, बड़ी वारदात है।

चाँद फलक की खिड़की से झाँकता है,
फिर छिप जाता है
इस वादी में अब हर शख्स डर-डर के आता है।
ऐ मेरे दोस्त वो दिल कहां से लाऊँ
पुरानी यादें किस तरह भुलाऊँ
जहाँ भी जाऊँगा तेरी याद ले जाऊँगा
ऐ कश्मीर तुझे दिल से कहाँ भुलाऊँगा

नफ़रत जिनका पेशा, जंग जिनकी तिजारत है,
शीशे की तरह दिलों को तोड़ने की उनकी आदत है,
माँ की गोद सूनी कर कहाँ जाओगे,
बहनों की माँग का सिंदूर लूट कर कहाँ छुप जाओगे,
मैं तो कहता हूँ तुम दोज़ख में भी जगह न पाओगे।

अलविदा दादी

नीलकमल सैनी पत्नी श्री पंकज सैनी, व.ले.अ.

आपका प्यार, लाड, दुलार, तीखी सी फटकार, जोर की मार

मेरा बचपन, मेरी कहानी, मेरा, जीवन,मेरी जवानी

मेरे जज़्बात, मेरे खयालात, मेरी रगों का खून, मेरी आंखों का पानी,

मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे यार ,मेरे दोस्त,

मेरी चाहत, मेरी दौलत, मेरी किस्मत, मेरी मोहब्बत

वो नीम का पेड़, वो घर का आंगन, वो बालाजी मंदिर

गांव का सरकारी स्कूल, आपका दिल दुखाने की भूल

वो भेड़ बकरियों के रेवड़ ,वो बीड के कैर बबूल

वो मेहंदी लगे हाथ, वो अम्मा जी का साथ

वो गर्म दोपहरी, आप के साथ वो हिंदी साहित्य की बात

मेरी किताबें, वो घर की दहलीज और पुराने एल्बमों में दबी हर पल की याद

वो तेरे हाथ का प्रसाद, वो हर वक्त कानों में गूंजती नीलू नीलू की आवाज

राम स्तुति की हर एक चौपाई,

हम दोनो के साथ की खूबसूरत तन्हाई

वो घर का चौका चूल्हा, बाड़े में पड़ा पेड़ का झूला

वो सावन के मोर, तालाब का छोर, घर की छत

परसों से लिखे गए तेरे नाम वो कई काल्पनिक खत

व्रत, उपवास, पूजा और पाठ, ईश्वर पर तेरा अटूट विश्वास

मेरा दिल मेरी धड़कन, आज तेरे साथ न होने का अहसास

ये नौकरी की मजबूरी, ये मीलों की दूरी

ये मां होने का भाव, वो मेरा गांव जाने का चाव

वो दिवाली के दिए,होली रत्जगे के गीत

शंकर के मंदिर की ऊंची घंटी

वो पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली बंटी

वो बयासन माई ,वो लखेरी काकी,तेरे हाथ की चाकी

सीता भाभी,लक्ष्मी चाची,वो मोहन,मदन

वो कचहरी के सामने वाला सैनी सदन

उफ्फ................................

क्या भूलूं क्या याद करूं मैं....?

बस...समझ नहीं आ रहा तेरे बिना कैसे रहूं मैं...?

(यह कविता श्रीमती नीलकमल सैनी पत्नी श्री पंकज सैनी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा अपनी दादी जी स्व. श्रीमती उमा देवी जी (देहांत 30.11.2024) को उनकी अंतिम विदाई में समर्पित की गई है।)

"यूं तो सभी अपने सगे संबंधियों के जाने पर शोकाकुल व विलाप करते हैं, यह जानते हुए कि किसी सजीव का परम सत्य मृत्यु ही है। दादीजी की मृत्यु की खबर, यह जानते हुए कि वो अपनी खराब तबियत के चलते ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगी, मेरे और मेरी पत्नी नीलकमल के लिए एक गहरे सदमे के समान थी। मैं फिर भी जल्द संभल गया, परंतु मेरी पत्नी को संभलने में काफी समय लगा क्योंकि वो दादी मां होते हुए भी उसके जीवन का एकमात्र करीबी रिश्ता थीं जो किसी बच्चे को सुरक्षित महसूस करा सकती थी। मेरी पत्नी के पिता के देहांत के समय वह केवल 2 वर्ष की थी, तब से अब तक उस पवित्र आत्मा (दादी) ने मेरी पत्नी का साथ दिया। वो सब कुछ थीं, मानो कभी मां, कभी पिता, कभी दोस्त" –

पंकज सैनी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी

गीता सच्ची जीवन शैली की प्रेरणा है

सहदेव
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

कर्म का मार्ग, जीवन की गहराई,
गीता की शिक्षा, सच्चाई की परछाई।
जो करता है कर्म, फल की न करे आस,
धैर्य से जिएं हम, हर पल हो खास।

गीता का ज्ञान, जीवन का है दीप,
कर्म करते जाओ, सपने होंगी साकार।
धर्म का मार्ग दिखाए, श्रीकृष्ण का सन्देश,
सच्चाई से बढ़ते, मिले हमें श्रेष्ठ।

धृतराष्ट्र की दृष्टिहीनता, बुनती दुखों की बुनाई,
कर्ण का अदम्य साहस, सिखाता हमें सहनाई।
युधिष्ठिर का सत्य, जो ठानी वो किया,
जीवन की कठिनाइयों में, ज्ञान का दीप जलाया।

श्रीकृष्ण का उपदेश, जीवन का आधार,
कर्म करते जाओ, फल की मत करो विचार।
अर्जुन के भीतर का द्वंद्व, समझने की है बात,
ज्ञान और कर्म के संगम से, मिलता है सच्चा साथ।
भीष्म का तप और बलिदान, धैर्य का है प्रतीक,
कौरवों की वासना, सिखाती हमको नीति।

महाभारत की कथा, संघर्ष और संतोष,
सच्चाई की राह पर, हर एक हो सशक्त।
युद्ध का यह मैदान, सिखाता हमें धैर्य,
कर्म और ज्ञान का, संगम है यह कैनवास।
कर्म का यह प्रवाह, जीवन को करे शुद्ध,
गीता की उपदेश, बनाएं हर दिन सुखद।
हर कदम पर चलें हम, श्रीकृष्ण का है साथ,
कर्म, ज्ञान और प्रेम से, बने जीवन का मार्ग।

पिता

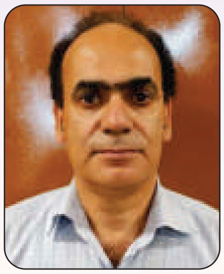

शेख शफाअत हुसैन
सहायक पर्यवेक्षक

खुशियों का गला घोंट कर जो हमें हार पहनाता है,
अरमानों की आहुति दे कर घर में जो दीप जलाता है।
वो व्यक्ति मेरे मित्रों पिता कहलाता है,

पसीने में लथपथ पैरों के छाले छुपाए जो फिरता है,
हर तूफान से जूझना जो हमें सिखाता है,
वो व्यक्ति मेरे मित्रों पिता कहलाता है।

सपनों को त्यागकर हमारी आँखों में जो नींद सजाता है।
जाग-जाग कर हमारे सिरहाने जो पहरा देता है,
वो व्यक्ति मेरे मित्रों पिता कहलाता है।

डरो नहीं, घबराते क्यों हो, ऐसे शब्द जो बोलता है।
कठिनाइयों से डटकर जो लड़ना सिखाता है।
वो व्यक्ति मेरे मित्रों पिता कहलाता है।

होती अगर किस्मत

इज़हार अहमद शाह
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

होती अगर किस्मत आप हमारे साथ होते,
होते नहीं इतने बिखरे हुए हम आप अगर साथ होते।
रखा खुदा ने हमको इतना बेखबर हम तेरा हाथ ना पकड़ सके,
चली गई तू हमको छोड़कर हम तेरा साथ छोड़ ना सके।

बन गए यतीम हम इस दुनिया के चमन में,
प्यार करने वाला कोई नहीं मिला इस दुनिया के दामन में।
है अपने बहुत से मगर अपना कोई नहीं,
सभी जबान से मगर दिल से कोई नहीं।

तू अगर होती जहां हमारा साथ होता,
चली गई हमको छोड़कर हमारे साथ कोई नहीं,
आखिरी रात को तूने कहा हम सुबह उठेंगे,
मुझको सुला कर खुद गहरी नींद में सो गई।
सुबह को जब उठा हूं मैं तुम मेरी गोद में सो गई,
देखा मैंने तुम हमारा साथ छोड़ कर चली गई।
पता नहीं फिर मुझे मैं किस हाल में रहा,
मेरी जिंदगी का चिराग बुझता रहा।

कितनी बेवफा निकली तू हमारा ख्याल कुछ ना रहा,
हमको इस दुनिया में अकेला छोड़कर हमारा ही साथ छोड़ दिया।

पागल हो जाता हूं मैं जब तेरी सोच में होता हूं,
खुद की खबर नहीं मैं किन ख्यालों में रहता हूं,
आखिर में भी किन ख्यालों में हूं,
मैं किससे गिले शिकवे करूं,

जो इस दुनिया से चले गए उनसे क्या शिकवे करें,
इजहार देख तू यहां से चले जाते हैं सभी
यह जहां किसी का नहीं छोड़ कर जाएंगे सभी
अब खुदा को ही याद कर वही सहारा है अपना
जो सहारा था अपना वो पहले ही चले गए।

"हिंदी वह भाषा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रुपी फूलों को पिरो कर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगी।"

-डॉ. जाकिर हुसैन-

समय का मूल्य

नीलोफर तब्बसुम
वरिष्ठ लेखाकार

एक साल का मूल्य समझने के लिए उस छात्र से पूछें जो एक कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है।

एक महीने का मूल्य समझने के लिए समय से पहले बच्चे को जन्म देने वाली माँ से पूछे।

एक सप्ताह के मूल्य का अहसास करने के लिए किसी साप्ताहिक पत्रिका के संपादक से पूछे।

एक मिनट के मूल्य को समझने के लिए उस व्यक्ति से पूछे जिसकी ट्रेन छूट गई हो।

एक सैकेण्ड के मूल्य को समझने के लिए उस व्यक्ति से पूछे जो दुर्घटना से बच गया हो।

एक मिलीसैकेण्ड के मूल्य को समझने के लिए उस व्यक्ति से पूछे जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता हो।

असफलताएँ सफलता के आधार है

नीलोफर तब्बसुम
वरिष्ठ लेखाकार

जीवन एक कठिन संघर्ष है और जीवन के कठिन भाग से अपना रास्ता निकालना कठिन है। जीवन के कठिन रास्ते या जीवन संघर्ष के रास्ते में आने वाली असफलताओं से हमे निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि यात्रा में ही जीवन है और असफलताएँ मनुष्य में जोश और उत्साह पैदा करती है। यह जीवन नहीं है जो महत्व रखता है बल्कि वह साहस है जो आप इसमे लाते है।

असफलताएँ हमेशा छिपे हुए आशीर्वाद की तरह होते है। असफलताएँ सफलता की ओर कदम बढाती है। असफलताएँ हमारी नसों पर दबाव डालती है और हमारे कौशल को तेज करती है ताकि हम यह पता लगा सके कि हमारे अन्दर क्या गलत और कमजोर है।

कई महान व्यक्ति असफलताओं का सामना करके ही महानता तक पहुँचे है। स्कॉटलैंड के राज्य को वापस जीतने में सफलता प्राप्त करने से पहले रॉबर्ट ब्रुस को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। आइंस्टीन अपने शुरुआती जीवन में पूरी तरह असफल रहे लेकिन वह दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बने। वास्तव में असफलताएँ ही सफलता के आधार है। हार को हराओ, इससे पहले कि हार तुम्हें हरा दे।

माँ की ममता

मसरत हसन
लेखाकार

माँ की ममता, सागर से गहरी,
उसकी मूरत, चाँद सी सजीली,
हर दुख में भी साथ निभाती,
उसकी छाँव में दुनिया है रंगीली।

उसकी गोद में सुकून की दुनिया,
हर लोरी में बसी है जीवन की धुनिया,
उसकी आँखों में उम्मीदों का सवेरा,
हर सुबह वो जगाती एक नया बसेरा।

उसके आँचल में बसता है प्यार,
हर कदम पर वो देती है सहारा अपार,
उसके बिना ये जीवन अधूरा,
माँ का दिल सच्चाई का दर्पण, अनमोल और पूरा।

वो मंदिर, वो मूरत, वो पूजा,
उसके बिन ये जीवन कैसा दूजा?
माँ की ममता है सच्चा वरदान,
उसके बिना है जीवन बेजान।

किरदार का कत्ल

कृष्ण कुमार
लेखापरीक्षक

सैकड़ों कहानियां पर्दे पर, हर कहानी का एक नायक है।
नायक मिले जब नायक से, तो बन जाते खलनायक है।
एक परदा एसा भी है, जिसका नायक रूठ गया है।
बोला जिसने ये खेल रचा है, उस लेखक से मिलने जाना है।
बाकी पर्दे पर मच गई हलचल, ये कैसा अजीब दीवाना है।
बोले चुप चाप खेल खेलो, तुम्हे मुख्य किरदार निभाना है।
नायक जब अगल बगल मे झांका , रह गया वो हाका बाका
हर परदे की यही कहानी, प्यासी मछली चाहिए पानी।
नायक जब गिन रहा था अपनी जीत और हार
परदे के पीछे से आई एक हल्की सी पुकार
पुकार थी की रोक दो ये खेल और जला दो यह परदा
उस आवाज मे एक नरमी थी और थोड़ा दर्द था।
नायक बोला कौन हो तुम ? सामने क्यों नहीं आते हो।
मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, तुम और क्यों सताते हो।
पता भी है कितना मुश्किल है मुख्य किरदार निभाना।
पूरे नाटक जोड़ते जाना, अंत में कुछ न पाना।
देखो तुम सच्चे हो, तुम्हारी बातें भी प्यारी है।

लेकिन मैं क्या करूं, ये नाटक मेरी जिम्मेदारी है।

उस पार से आई आवाज, ना नाटक तेरा, ना मंच तेरा

ना तू कही का नायक है, दूसरो की उंगलियों पर नाचने वाले

देख कौन तेरा विधायक है।

अब नायक कुछ न बोला, देखने लगा मन का दर्पण

पाया खुद को इतना कुरूप, मन में फैल गया एक कंपन

बोला, सुनो ! हेलो! मुझे भी आना है परदे के उस पर।

इस नाटक में दुख है, तकलीफ है, और ना मेरा चुना हुआ किरदार।

क्या करू ? कैसे आऊं - कुछ तो सुझाओ यार।

परदा बोला ठीक है , आ जाओ, बस एक शर्त है।

ये जो मुख्य किरदार बने बैठे हो, यही सिरदर्द है।

तो मरना होगा नायक को और मरना बारम बार

जब कत्ल कर दो किरदार का, तब आ जाना इस पार

" हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में समासीन हो सकती है।"

-मैथिलीशरण गुप्त-

हेमंत गोयल
लेखापरीक्षक

स्मृतियाँ एवं संघर्ष

यूँ तो कुछ खूबसूरत किसे है शाम के वक्त के
एक अरसे के गुजर जाने के बाद भी मंजर,
हंसी-मुस्कान लिए सामने आ जाता हूँ।

पर तलब नहीं होती अब, तुमसे बात करने की भी,
और ना ही, मैं तुम्हें मेरे सपनों में हिस्सा बनाता हूँ॥
इस बेरंग जीवन में आशाओं के रंग में,
अपना दुख में कुछ इसी तरह छिपाता हूँ।

बस हर घड़ी मेरी दुआओं में तुम्हें,
खिलखिलाकर हँसता पाता हूँ।।

नयी उमंग के नव विलय से,
मैं खुद को सींचता जाता हूँ।

फिर भी प्रेम समर्पित भाव से,
तुम्हारे समकक्ष, मैं नतमस्तक खुद को पाता हूँ,
मैं नतमस्तक खुद को पाता हूँ

अंतरमन रूपी सागर में उठी तूफानों की लहरें भी,
पर दृढ संकलपित मन को लेकर, तूफानी लहरों से टकराता हूँ।

अशांत मन रूपी तूफानी लहरों में,
अपराजित संघर्ष करके,
मैं शांत किनारों पर आता हूँ
मैं शांत किनारों पर आता हूँ

जम्मू में बावे वाली माता

कुलदीप कुमार, लिपिक

कहानी सुन लो जरा मां बावे वाली माता की...
जहां बहे तवी की धारा वहीं बसी है मां
मां ममता की ये देवी
तीन हजार साल पुराना ये मंदिर इतिहास में जगमगाया
जब राजा बहुलोचन ने इसे बनवाया ये किला गर्व से लहराया
राजा हर्षवर्धन पंहुचे थे कलकत्ता नगरी
जहां मां की मूर्ति ने की उनसे बात
छवि में मन में आया भाव अपार
राजा ने की मां से पुकार प्रार्थना कर मां को लाए
लेकर चले श्रद्धा के साथ उस पार
बावे की धरती पर लाकर पंडितों को बुलाया गया
पूजन हुआ प्रतिष्ठा की मां को जगाया गया
तब से ये स्थान बना श्रद्धा और शक्ति का ठिकाना
जहां भक्तों को मिला है हर एक मन्नत का खजाना
डोगरा वंश के हर राजा ने यहां शीश झुकाया
हर युद्ध से पहले माता के द्वार पर दीप जलाया
धीरे-धीरे फैली बात मां की महिमा हुई महान
जन-जन की आस्था से भर गया सारा मैदान
नवरात्रों में लगता मेला यहां लाखों भक्त उमड़ते हैं
प्रसाद चूड़ियां तस्वीरें मां की मूरत सजाते हैं
मां बावे वाली माता का नाम पड़ा इसी किले के कारण
जहां की हवा में आज भी गूंजे मां की जयकार
यहां की सुंदरता यहां के प्रसाद सब कुछ है खास
मां के दरबार में हर चेहरा है रोशन और मधुमास
जो भी एक बार यहां आता मां की भक्ति में रल जाता
मां बावे वाली माता के चरणों में सारा जीवन धन्य बन जाता।

क्या मोबाइल एक आवश्यक बुराई है?

गिर्राज प्रसाद मीना
सहायक निदेशक (राजभाषा)

आधुनिक युग के चमत्कारी आविष्कारों में से बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण आविष्कार है, मोबाइल फोन। इस छोटे से यंत्र ने तो मानो पूरी दुनिया पर चमत्कार सा ही कर दिया है एवं दुनिया को अपनी जद में जकड़ लिया है। मोबाइल के आने से पहले टेलिफोन, कॉर्डलेस फोन आदि हुआ करते थे जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर बैठे अपने प्रियजनों आदि से बातें करते थे, लेकिन आज मोबाइल सिर्फ बातें करने तक ही सीमित न रहकर बहुत ही चमत्कारिक रूप से मानों पूरी टैक्नॉलौजी अपने अंदर समेटे हुए है।

मोबाइल फोन अपने आश्चर्यजनक गुणों के कारण आज हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। प्रारंभ में मोबाइल सिर्फ संपन्न लोगों तक ही सीमित था लेकिन धीरे-धीरे यह आज हम सब तक पहुँच चुका है। शुरूआत में जब भारत में मोबाइल फोन आए तब यह काफी महंगे थे लेकिन ज्यों-ज्यों अलग-अलग कंपनियों के मोबाइल फोन बाजार में आना शुरू हुए तब धीरे-धीरे सस्ते होते गए। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के बाजार की नब्ज पकड़ते हुए सेवा प्रदाता कंपनियां भी बढ़ने लगी और प्रतिस्पर्धा के कारण कॉल रेट भी कम होने लग गई। आज चाहे उद्योगपति हो, नौकरीपेशा हो, रिक्शा वाला हो, मजदूर हो, ड्राईवर हो, हर किसी की जेब में मोबाइल फोन है और इसका उपयोग करते-करते आज हमारी आदत ऐसी हो गई है कि इसके बिना तो जैसे जीवन जीने की कल्पना ही करना असंभव सा है।

अगर हम सच कहें तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस छोटे से यंत्र ने अपने चमत्कारिक फीचर्स से हम सब का जीवन सरल और आसान बना दिया है और पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में समेट दिया है। आज हम दुनिया के किसी एक कोने से किसी भी दूसरे कोने में बैठे अपने रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों आदि से न केवल आसानी से बातें कर सकते हैं बल्कि वीडियो कॉल के माध्यम से उनको लाइव भी देख सकते हैं। उनसे लाइव बातें कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं जिससे ऐसा एहसास होता है कि हम आमने-सामने ही बैठकर बाते कर रहे हैं और हमारी भौगोलिक दूरियाँ जैसे समेट कर रख दी गई हैं।

मोबाइल के माध्यम से हम न केवल बातें कर सकते हैं बल्कि और भी बहुत से कार्य कर सकते हैं जैसे फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और कहीं भी हमारे खास पलों को हम हमेशा के लिए कैप्चर कर सकते हैं। एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। मोबाइल में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के ऐप्स के माध्यम से हम पलक झपकते ही मनचाही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विश्व के किसी भी स्थान के मौसम का हाल जान सकते हैं, गूगल मैप के माध्यम से अनजान जगहों पर रास्ता जान सकते हैं। एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, लाइव मैच देख सकते हैं किसान घर बैठे मंडियों में फसलों का भाव जान सकते हैं, यहां तक कि जब मोबाइल फोन हमारी जेब में हो तो हमें अकेलेपन का भी एहसास नहीं होने देता और हम सोचते हैं कि कोई हमेशा हमारे साथ है जो हमें हर पल पूरी दुनिया से जोड़े रहता है। इसके अलावा इस छोटे से यंत्र में और भी बहुत अनगिनत फीचर्स उपलब्ध है जिन्होंने मानव जीवन को बहुत आसान बना दिया है।

यह सच है कि मोबाइल ने हमारे जीवन को अधिक सरल और आसान तो बना दिया है लेकिन ज्यों-ज्यों इसका इसका उपयोग बढ़ रहा है, धीरे-धीरे इसके नुकसान भी हमारे सामने आ रहे हैं। आज हम सबको इसकी लत सी लग गई है जैसे इसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। हम अपना बहुत अधिक समय मोबाइल में नष्ट कर रहें हैं। घंटों तक सोशल मीडिया पर अपना कीमती समय व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य पर भी दुस्प्रभाव पड़ रहा है। लंबे समय तक लगातार मोबइल देखने से आँखे खराब हो रही हैं एवं यह भी देखा गया है कि लगातार लंबे तक इसका उपयोग करने से कई लोगों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी पनप रहा है।

मोबाइल से सबसे ज्यादा नकारात्मक असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। बहुत अधिक स्क्रीन टाइम के कारण छोटे-छोटे बच्चों की आँखें खराब हो रही है एवं कम आयु में ही बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। उनके स्वभाव पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। एक अध्ययन के अनुसार बच्चों पर बहुत ही घातक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जैसे बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा एवं गुस्सैल हो रहा है एवं किसी किसी बच्चे में तो हिंसक प्रवृत्ती भी पनप रही है जो न केवल बच्चों के लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी एक खंतरे की घंटी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने देश में 16 वर्ष की कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया देखने पर पाबंदी लगा दी है। कई यूरोपियन देशों में भी डॉक्टरों नें मरीज की बिमारी हिस्ट्री में स्क्रीन टाइम को भी शामिल कर लिया है तथा स्क्रीन टाइम कम करने के परामर्श दिए जा रहे हैं। बच्चों के लिए विशेष काउंसलर सेंटर खोले जा रहै हैं जिससे कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम किया जा सके एवं मोबाइल का संतुलित उपयोग ही किया जा सके।

स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ-साथ मोबाइल से हमारे समाज में अनेक बुराईयां भी बढ़ रही है। आज साईबर क्राइम एक गंभीर समस्या बन चुका है। लोगों की झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। अपना किमती समय मोबाइल में नष्ट कर रहे हैं विशेषकर हमारे छात्र जो मोबाइल के कारण किताबों

से दूर होते जा रहें है। किताबें पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इसका दुरूपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण समाज में अपराध बढ़ रहे है। इन सब कारणों से मोबाइल फोन हमारे लिए हानिकारक भी सिद्ध होता जा रहा है इसलिए हमें इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी ठोस कदम उठान होंगे।

अगर हम मोबाइल फोन का संतुलित एवं आवश्यकता होने पर ही उपयोग करें तो यह हमारे लिए किसी वरदान से भी कम नहीं है। इसके उचित उपयोग से हम इसके द्वारा उपरोक्त हानिकारक दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकते है तथा इसका सदुपयोग बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

आज जिस तरह मोबाइल हम सबके जीवन में अपनी पैठ बना चुका है उसके कारण कितनी भी बुराईयां इसमें क्यों न हो हम इसे स्वयं से दूर नहीं कर सकते इसलिए अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि मोबाइल फोन हमारे जीवन में एक आवश्यक बुराई है।

"अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता-समझता है।"

-महात्मा गाँधी-

धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए सत्यनिष्ठा की भूमिका

संदीप वर्मा

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

(सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 जो 28 अक्तूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक 'राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति' थीम पर मनाया गया, के अवसर पर लिखा गया निबंध)

सत्यनिष्ठा (Integrity) एक व्यक्ति का वह गुण है जो उसे विपरीत परिस्थितियों में भी सही मार्ग और मूल्यों (Values) पर टिके रहने में सक्षम बनाता है। इसे अकसर ईमानदारी (Honesty) समझा जाता है, परंतु सत्यनिष्ठा ईमानदारी से एक कदम आगे है और इसमें ईमानदारी के साथ पारदर्शिता (Transparency) और उत्तरदायित्व (Accountability) भी शामिल होते हैं। सरल शब्दों में, जब किसी व्यक्ति की कथनी और करनी (What he says and what he does) तथा छवि (Perception) और चरित्र (Character) में अंतर समाप्त हो जाता है, तो वह व्यक्ति सत्यनिष्ठ हो जाता है।

धारणीय विकास (Sustainable Development) के लिए सत्यनिष्ठा की आवश्यकता को समझने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि सत्यनिष्ठा की कमी से कौन-कौन से संकट समाज में उत्पन्न हुए हैं और ये संकट किस प्रकार धारणीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक बनते हैं। इस संदर्भ में स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग प्रासंगिक प्रतीत होता है।

जब मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में थे, तो धन की कमी के कारण विश्वविद्यालय दान पर निर्भर था। इसलिए उनके घर में दो जगहों पर खाना बनता था - एक रसोई दान से प्राप्त धन या सामग्री से, जो केवल मालवीय जी के लिए होती थी, और दूसरी रसोई बाकी परिवार के सदस्यों के लिए। एक दिन, परिवार की रसोई में खाना देर से बना, और मालवीय जी के पोते को परीक्षा देने जाना था। यद्यपि मालवीय जी की रसोई में खाना बन चुका था, उन्होंने अपने पोते को यह खाना देने से मना कर दिया और उसे भूखे ही स्कूल भेज दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तब तक स्वयं भी भूखे रहने का निर्णय लिया जब तक उनका पोता वापस नहीं आया। जब पोता वापस आया, तो उसने कहा कि अगर वह उस दिन मालवीय जी की रसोई का खाना खा लेता, तो न वह भूखा रहता और न मालवीय जी। इस पर मालवीय जी का उत्तर अद्वितीय था। उन्होंने कहा कि उनका भोजन बाबू शिवप्रसाद गुप्त के घर से दान में आए अन्न से बनता है, और देश के प्रति उनकी सेवा के कारण उन्हें इस अन्न का सेवन करने का अधिकार है। उनके परिवार ने देश की सेवा नहीं की है, इसलिए उनके

लिए यह दान का अन्न अनुपयुक्त सिद्ध होगा। यह घटना ने सार्वजनिक और निजी संसाधनों के बीच के अंतर और उनके प्रति मालवीय जी की गहरी संवेदनशीलता को दर्शाती है।

यह घटना सत्यनिष्ठा का बेहतरीन उदाहरण है। यह दिखाता है कि उनका चरित्र कितना महान था और वह सार्वजनिक संसाधनों का निजी लाभ के लिए उपयोग के प्रति कितने सतर्क थे। साथ ही, पोते के घर आने तक भूखे रहना उनकी उत्तरदायित्व की भावना को भी दर्शाता है। आज के नेताओं को संसद सदस्यता जाने के बाद भी सरकारी आवास के लिए अदालत जाते देखकर आम व्यक्ति मूल्यों की गिरावट (Decline in values) को अनुभव करता है।

सत्यनिष्ठा की कमी से समाज में तीन मुख्य संकट उत्पन्न हुए हैं, जो धारणीय विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक हैं। पहला, छवि बनाम चरित्र का संघर्ष। व्यक्ति जो होता है, उससे अलग दिखाने का प्रयास करता है। सोशल मीडिया के विस्तार ने इसे महामारी का रूप दे दिया है। दूसरा, मूल्यों और स्किल का संघर्ष। बिना मूल्यों की शिक्षा विनाश की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, सामान्य हैकर और एथिकल हैकर में स्किल का नहीं, बल्कि मूल्यों का अंतर होता है। तीसरा, उपभोक्तावाद की संस्कृति। सोशल मीडिया पर प्रदर्शन की चाहत ने 'फास्ट फैशन' जैसे विचारों को बढ़ावा दिया है, जो संसाधनों की बरबादी की ओर ले जाता है।

इन समस्याओं के कारण समाज में विश्वास की कमी उत्पन्न होती है, जिसे सत्यनिष्ठा की कमी के कारण उत्पन्न कथनी और करनी के अंतर और बढ़ा देते हैं। इसी कमी के कारण भ्रष्टाचार, असमानता, धन का अनुचित संग्रह, और पर्यावरण का ह्रास जैसी समस्याएं उभर रही हैं, जो धारणीय विकास की प्राप्ति में बाधा बन रही हैं।

धारणीय विकास अपेक्षाकृत नई अवधारणा है, हालांकि भारत में प्राचीन काल से ही प्रकृति और मानव के बीच संतुलन पर बल दिया गया है। 'वसुधैव कुटुंबकम' अर्थात् 'सारा संसार ही मेरा परिवार है' जैसी अवधारणा भारतीय संस्कृति का आधार रही है। लेकिन पश्चिम में मानव को प्रकृति से ऊपर माना गया और इस विचारधारा के तहत संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया, जिससे 18वीं और 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के दौरान गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुईं। 1960 तक यह सिद्ध हो गया कि अनंत काल तक संसाधनों का दोहन संभव नहीं है और यदि मानव जाति को बचाना है, तो गांधी जी के विचारों को अपनाना आवश्यक है - अर्थात यह मानना कि पृथ्वी पर सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन हैं, लेकिन लालच की पूर्ति के लिए नहीं।

इस पृष्ठभूमि में धारणीय विकास की अवधारणा का उदय हुआ, जो इस बात पर बल देती है कि धरती के संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि अगली पीढ़ी की आवश्यकताएँ भी पूरी की जा सकें। हमें यह मानना होगा कि हमने पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। इसलिए

हमारा कर्तव्य है कि हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें और एक समृद्ध पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाएं।

धारणीय विकास का आरंभिक संबंध केवल पर्यावरण संरक्षण से था, लेकिन समय के साथ इसमें सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक लक्ष्य भी जुड़ गए। धारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 तक एक समावेशी, न्यायपूर्ण और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है। इन लक्ष्यों का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, भूख समाप्त करना, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छ ऊर्जा का प्रावधान करना, आर्थिक असमानता को कम करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और पृथ्वी के संसाधनों का संरक्षण करना है। ये लक्ष्य न केवल पर्यावरण के संरक्षण पर बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति पर भी बल देते हैं, ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएँ पूरी हों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति का संकल्प लिया है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय, पर्यावरण का संरक्षण, और बेहतर जीवन स्तर के लिए संसाधनों का संतुलित उपयोग शामिल है। हालाँकि, सरकार धारणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई योजनाएँ चला रही है, परंतु सत्यनिष्ठा के अभाव में यह लक्ष्य प्राप्त करना अत्यधिक कठिन और समय-साध्य हो सकता है। यदि समाज के लोग व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझें और अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो इन लक्ष्यों को अपेक्षाकृत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

सत्यनिष्ठा और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की आवश्यकता को तीन उदाहरणों से समझा जा सकता है। स्वामी विवेकानन्द अपनी जापान यात्रा के दौरान फलाहार पर थे। एक दिन, अच्छे फल न मिलने पर उन्होंने कहा कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। यह सुनकर एक युवक ट्रेन से उतरकर गया और उनके लिए अच्छे फल लेकर आया, साथ ही विनम्रता से आग्रह किया कि अपने देश जाकर वे यह न कहें कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। यह घटना दिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने देश का प्रतिनिधि होता है। दूसरा उदाहरण है, कुछ समय पहले एक महिला सड़क पर सजावट के लिए रखा गमला उठाकर अपने साथ ले गई, जो समाज में व्यक्तिगत ईमानदारी की कमी को दर्शाता है। एक अन्य उदाहरण में, रेलवे में कार्यरत एक व्यक्ति ने ट्विटर के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 21 लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए ले जाए जाने से बचाया। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर किया गया प्रयास बड़े और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, जबकि 'मेरा क्या' या 'मुझे क्या' जैसी प्रवृत्तियाँ समाज में बदलाव की राह में बाधक बनती हैं। यह सत्य है कि यदि हर व्यक्ति अपने घर को साफ रखने के लिए कचरा बाहर फेंकता है और फिर इसकी जिम्मेदारी सरकार पर डाल देता है, तो यह देश की छवि को धूमिल करता है। यदि हम स्वयं में बदलाव लाएँ और वही बदलाव समाज में भी देखने का प्रयास करें, तो यह सत्यनिष्ठा का असल अर्थ है।

सत्यनिष्ठा और समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी गहरा संबंध है। भ्रष्टाचार, जो समावेशी विकास की राह में सबसे बड़ा अवरोधक है, लोगों के चरित्र से जुडी एक सामाजिक समस्या है। शॉर्टकट अपनाने और 'चलता है' की मानसिकता भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। यदि भारत को समावेशी विकास और पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनानी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी, जिसमें सत्यनिष्ठा का गुण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सत्यनिष्ठा के कारण सामाजिक विश्वास (Social Trust) उत्पन्न होता है, जिससे सामाजिक पूंजी (Social Capital) bका निर्माण होता है। इसका परिणाम यह होता है कि समाज सरकार पर निर्भर रहने की बजाय अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढता है। कई एनजीओ और सिविल समाज इसी का उदाहरण हैं, जिनके योगदान को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है। उपभोग की संस्कृति को भी सत्यनिष्ठा के माध्यम से कम किया जा सकता है। जब व्यक्ति की छवि और चरित्र में एकरूपता आ जाती है, तो उसे दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। इससे संसाधनों की बचत होती है, जो धारणीय विकास के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक है। इसी प्रकार लैंगिक समानता के लक्ष्यों में सत्यनिष्ठा का योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना यह स्वीकार करना संभव नहीं कि स्त्री और पुरुष समान हैं।

असमानता को कम करने के लिए गांधीजी के 'ट्रस्टीशिप के सिद्धांत' का भी विशेष महत्व है, जिसमें पूंजीपति संपत्ति का प्रयोग समाज के भले के लिए करते हैं। यह तभी संभव है जब उनके चरित्र में सत्यनिष्ठा का गुण हो। जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी सत्यनिष्ठा आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तिगत उपयोग पर नियंत्रण दिखावे की संस्कृति को समाप्त कर सकता है, जिससे संसाधनों का सही उपयोग हो सके। इसी प्रकार, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए एक कदम यह भी हो सकता है की समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर कमजोर वर्ग की देखभाल करें और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे इसके लिए प्रयास करें। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभानी होगी।

यद्यपि सरकार भ्रष्टाचार और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस, सीसीटीवी, डीबीटी (DBT), और बायोमैट्रिक प्रणाली जैसे उपाय कर रही है और इसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं, फिर भी सत्यनिष्ठा और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का कोई विकल्प नहीं है।

व्यक्तियों के बदलने से समाज बदलता है या समाज के बदलने से व्यक्ति, यह वाद-विवाद का विषय है। समाज के बदलाव के लिए यह आवश्यक है कि लोग व्यक्तिगत स्तर पर सत्यनिष्ठा और जिम्मेदारी का प्रदर्शन करें। इतिहास साक्षी है कि जब कुछ व्यक्तियों, अधिकारियों, या नेताओं ने सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ संरचनात्मक बदलाव का प्रयास किया, तब उसके सकारात्मक परिणाम व्यापक स्तर पर देखे गए हैं इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए ताकि विकसित भारत और धारणीय विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

विश्व पटल पर हिंदी

विक्रम सिंह
वरिष्ठ अनुवादक

भाषा मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। भाषा लोगों को आपस में जोड़ने का सबसे सरल और जरूरी माध्यम है। वैश्वीकरण के दौर में विश्व को जीवन के हर क्षेत्र में परस्पर जोड़े रखने में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपेषण के लिए आवश्यकता अनुसार भाषा अपनानी पड़ती है। हिंदी एक समृद्ध भाषिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परंपरा की वाहिनी है। यह प्राचीन और सर्वभाषा जननी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है जिसके फलस्वरूप यह विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं के शब्दों से अपने साहित्य को पुष्ट किए हुए है। हिंदी जाति, धर्म, पंथ तथा क्षेत्र की सीमाओं को लांघकर विदेशियों के मध्य भी अपनी सरलता तथा सुबोधगम्यता के कारण मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ती है।

मेरे हिंद देश की धड़कन है हिंदी,

विश्व में मेरी पहचान है हिंदी,

सब तक मेरे मन के भाव दे पहुंचा,

ऐसी सरल, सहज और सुबोध भाषा है हिंदी।

विश्व पटल पर हिंदी की महत्ता बढ़ाने में हमारे भारतीयों की कड़ी मेहनत, कुशाग्र बुद्धि तथा प्रतिभा का बहुत बड़ा योगदान है। विश्व पटल पर जब हम हिंदी का स्मरण करते हैं तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा भूतपूर्व विदेशमंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम याद आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सितंबर, 2014 एवं 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में वक्तव्य दिए जाने तथा 2019 में क्लाईमेट एक्शन समिट में हिंदी में संबोधन, 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में अपना संबोधन हिंदी में प्रस्तुत किया।

जुलाई, 2023 में भारत द्वारा 1 मिलियन यूएस डॉलर की राशि संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व के संगठनों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई। 2023 में आयोजित किए गए जी-20 शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्व के विभिन्न नेताओं के समक्ष सम्मेलन का शुभारंभ हिंदी में संबोधन के साथ शुरू किया गया। ये कदम विश्व पटल पर हिंदी की बढ़ती प्रासंगिकता के द्योतक हैं। विश्व के तमाम देशों की प्रगति में भारतीयों ने जो योगदान दिया है, उससे प्रभावित विदेशियों को समझ आ गया है कि भारतायों से अच्छे संबंध बनाने के लिए हिंदी भाषा सीखना बहुत जरूरी है।

अगर हिंदी भाषा की वैश्विक स्थिति की बात की जाए तो विश्व के 150 से अधिक देशों में फैले 2 करोड़ भारतीयों द्वारा हिंदी बोली जाती है। इसके अतिरिक्त 40 देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मंदारिन है तो दूसरा स्थान हिंदी भाषा का है। साथ ही हिंदी भाषा भारत व फिजी की राजभाषा भी है। यूनेस्को अपनी डब्ल्यूएचसी (WHC) की वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों का हिंदी विवरण प्रकाशित करेगा। यह हिंदी के बढ़ते वर्चस्व का द्योतक है।

विश्व पटल पर हिंदी को स्थापित करने के लिए वर्ष 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा एक विश्व हिंदी सम्मेलन करने का प्रस्ताव दिया गया था। जिसके फलस्वरूप प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10-14 जनवरी, 1975 को नागपुर (महाराष्ट्र) में संपन्न हुआ। 14 जनवरी, 1949 को भारत सरकार द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के पश्चात यह पहला बड़ा पड़ाव था। इसके पश्चात अब तक कुल 12 विशव हिंदी सम्मेलनों का आयोजन क्रमशः नागपुर, मॉरीशस, नई दिल्ली, मॉरीशस, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, लंदन, सूरीनाम, न्यूयॉर्क, भोपाल, मॉरीसस तथा फिजी में संपन्न किया जा चुका है। मॉरीसस में तो विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई है।

विश्व के अन्य देशों में भी हिंदी का प्रचार-प्रसार हो रहा है। इसमें पड़ोसी देशों के साथ-साथ अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप के बहुत सारे देश तथा रूस, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देश शामिल हैं। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 114 मिलियन डॉलर की राशि अमेरिका में हिंदी, चीनी और अरबी भाषाएं सीखने के लिए स्वीकृत की। इससे स्पष्ट होजाता है कि हिंदी का महत्व विश्व भर में कितनी गंभीरता से अनुभव किया जा रहा है। प्रो. ची श्येन द्वारा स्थापित भारत विद्या विभाग चीन का एक महत्वपूर्ण संस्थान है जहां छात्रों को हिंदी व संस्कृत का अध्ययन कराया जाता है। प्रो. ची श्येन ने वाल्मिकी रामायण का, प्रो. चिनहान ने रामचरितमानस का चीनी भाषा में अनुवाद किया है। गोदान, जयशंकर प्रसाद और कृष्ण चंदर की रचनाओं का भी हिंदी से चीनी भाषा में अनुवाद हो चुका है।

विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी में पठन-पाठन के साथ-साथ अनुसंधान कार्य भा किया जा रहा है। हार्वर्ड, पेन, मिशिगन तथा येल विश्वविद्यालयों में हिंदी का शिक्षण हो रहा है। इंग्लैण्ड के कैंब्रिज, ऑक्सफॉर्ड, लंदन विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई काफी समय से होती आ रही है। इटली के वेनिस, टूरिन रोम तथा मिलान विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। नीदरलैंड के लायडन, एम्सटरडम विश्वविद्यालयों में हिंदी पनपी है। फिनलैंड के हेलंसिकी, स्वीडन के स्टॉकहोम विश्वविद्यालय, डेनमार्क के कॉपेनहेगन विश्वविद्यालय में हिंदी पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था है। नार्वे में हिंदी की स्थिति दिन-प्रतिदिन सुदृढ़ हो रही है। इसके अतिरिक्त 10 अप्रैल, 2007 से स्कैंडेनेवियन भारत साहित्य एवं संस्कृति मंच के प्रयासों से दूरदर्शन इंडिया का प्रसारण यूरोपीय देशों के साथ-साथ विश्व के 146 देशों के लिए शुरू हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति, विश्व हिंदी समिति तथा हिंदी न्यास जैसी विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी विश्व पटल पर हिंदी का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। कनाडा में भी कई पत्र-पत्रिकाओं यथा- विश्व भारती, नमस्ते कनाडा, हिंदी चेतना आदि का प्रकाशन हो रहा है। इसके अतिरिक्त साहित्यिक क्षेत्र में हिंदा के लिए कई संस्थाएं सक्रिय हैं जिनमें भारतीय भाषा संगम, गीतांजलि, यू.के. हिंदी समिति, हिंदी भाषा समिति, चौपाल, कृति इंटरनेशनल तथा कथा यू.के. प्रमुख हैं। अबू धाबी में हिंदी को तीसरी आधिकारिक अदालती भाषा के रूप में अपनाया गया है। इस स्थिति के परिणामस्वरूप, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय कर्मचारी अपनी मातृभाषा में देश के श्रम न्यायालयों में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

वैश्विक स्तर पर हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। यहां तक कि प्रवासी भारतीयों की सासंकृतिक भाषा भी हिंदी है। आज के परिवेश और संदर्भ के अनुसार हिंदी भाषा केवल साहित्यिक या संप्रेषण की भाषा नहीं रही, वह तो कामकाज, कार्यपद्दति, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, विधि, चिकित्सा तथा वाणिज्य के साथ-साथ संगणक, सैल्यूलर, इंटरनेट, सैटेलाइट तथा सूचना आदि की भाषा बनने लगी है। वह संचार की भाषा बन भाषाई क्षमता तथा भाषाई व्यवहार को गति प्रदान कर रही है। हिंदी भाषा का संबंध संस्कृत, पालि, अन्य भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, स्पेनिश, डच, पुर्तगाली आदि कई भाषाओं से है।

हिंदी को जीवन के विविध क्षेत्रों जैसे- विज्ञान, चिकित्सा, तकनीक, विधि, अर्थशास्त्र, संचार तथा अन्य क्षेत्रों में समृद्ध करना एक बड़ी चुनौती है। विश्व बाजार से जुड़े कानूनी दाव-पेचों, विश्व व्यापार संगठन के समझौतों, उनके संबंद्ध दस्तावेजों आदि में हिंदी के प्रयोग की कल्पना करना कठिन है। भारत विश्व बाजार की टेक्नोलॉजी से जुड तो रहा है पर केवल अंग्रेजी माध्यम से। जब हिंदी को संविधान की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया तो ऐसा माना जाने लगा कि इसे देर-सवेर संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त होगी लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो सका है।

हिंदी भाषा को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा को सातवीं भाषा के रूप में स्थान दिलाना है। इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा गंभीर प्रयास किए जा रहें हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पसाह में एक दिन हिंदी भाषा में समाचार बुलेटिन प्रसारित करना बहुत ही सराहनीय एवं स्वागत योग्य कदम है। यह कदम हिंदी भाषा को विश्व पटल पर स्थापित करने हेतु एक कीर्तिमान कदम है। भाषिक आंकड़ों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाओं चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, अरबी, रूसी और फ्रेंच की तुलना हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली और समझे जाने वाली भाषाओं में दूसरे स्थान पर है।

भले ही अंग्रेजी भाषा ने भारतीय बाजार पर अपना दबदबा बनाया है लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें यह आभास हो गया है कि भारत में पांव जमाने के लिए हिंदी भाषा को अपनाना ही होगा।

अत: भारतीय बाजार में सफल होने के लिए तथा इस बड़े तबके को साथ लेकर चलने के लिए हिंदी भाषी होना भी आवश्यक है। मनोरंजन की दुनिया में हिंदी ही सबसे अधिक मुनाफे वाली भाषा है। भारतीय भाषा सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 7-8 प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी भाषा में पारंगत हैं, बाकी लोग हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में ही अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं।

हिंदी भाषा वैश्विक पटल पर भी तकनीकी और डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में विस्तार और बड़े बाजार की संभावनाएं समेटे हुए है। आज के संचार युग के दौर में भाषा वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि सूचना संचार में केवल 14 भाषाएं जीवित रहेंगी, उनमें हिंदी एक प्रमुख भाषा रहेगी। आज विश्व भर में कई पत्र-पत्रिकाएं, वेबसाइट तथा ब्लॉग्स हैं जो हिंदी भाषी होकर हिंदी का प्रचार-प्रसार बखूबी कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू तथा ओरेकल जैसी विश्वस्तरीय कंपनियां अत्यंत व्यापक बाजार को देखते हुए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दे रही हैं।

आज हिंदी इंटरनेट, मैसेज, व्हाट्सएप तथा ई-मेल की भी भाषा बनती नजर आ रही है। आज हिंदी भाषा में 25 लाख से अधिक अपने शब्द हैं। हिंदी सिनेमा अपने गीतों एवं संवादों के कारण विश्व स्तर पर लोकप्रिय है। इसने सर्वदा विश्व मन को जोड़ा है। हिंदी सिनेमा देश की सभ्यता, संस्कृति तथा बदलते संदर्भों एवं अभिरूचियों की अभिव्यक्ति का बड़ा ही सफल माध्यम रहा है। विदेशी चैनलों ने भी अपने कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित करने प्रारंभ कर दिए हैं, जैसे- डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी आदि। इसके अतिरिक्त कई फिल्में और धारावाहिक भी हिंदी में आ रहे हैं।

आज स्थिति यह है कि गुण और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से हिंदी अपने वैविध्य एवं बहुस्तरीयता में संपूर्ण विश्व में सर्वेपरि है। वर्तमान समय में हिंदी का कथा-साहित्य भी फेंच, रूसी तथा अंग्रेजी के लगभग समकक्ष है। इसकी क्षतिपूर्ति हिंदी सिनेमा द्वारा भली-भांति होती है। आज हिंदी को पहले की भांति वैश्विक धरातल प्राप्त हो रहा है। विश्व के कई देशों में हिंदी भाषा के प्रति आकर्षण का आत्मीय भाव संचरित हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी आज पूरे विश्व में फल-फूल रही है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने वर्चस्व को प्राप्त कर रही है।

वर्तमान समय की मांग है कि हम सब मिलकर हिंदी के विकास की यात्रा में शामिल हों ताकि तमाम निष्कर्षों एवं प्रतिमानों पर कसे जाने के लिए हिंदी को सही अर्थों में विश्व भाषा की गरिमा प्रदान कर सकें। हमें हिंदी के विकास, प्रचार व प्रसार में निरंतर प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार, हिंदी के लिए समर्पित विभिन्न सरकारी संस्थाओं तथा समितियों आदि के द्वारा हिंदी भाषा को विश्व पटल पर स्थापित किए जाने के सकारात्मक प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। यह प्रतिबद्धता आगे भी मजबूती से बढ़ती रहे इसकी प्रबल आवश्यकता है।

पिंकू जी

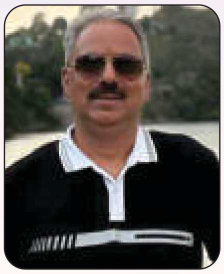

सतीश महानूरी

से. नि. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

बहुत पहले की बात है जब मैं चार या पाँच साल का था। मैं अपने ननिहाल में रहता था। यह गांव अति सुंदर था जिसमें चिनार, अखरोट और अन्य फलों वाले पेड़ बड़ी संख्या में थे। हर एक मोहल्ले में एक चश्मा था जो हर समय साफ सुथरे और मीठे जल से भरा रहता था। हमारे घर के सामने से एक छोटी नदी बहती थी जिसमें हम पांव डुबा कर खेला करते थे और उसके पानी को नहाने धोने के लिए प्रयोग में लाते थे। मेरे गाँव के दो किलोमीटर दूर एक अच्छा सा कस्बा था जहाँ से वह हर चीज़ जो गांव में नहीं मिलती थी, उपलब्ध होती थी।

एक दिन मेरे मामाजी और मुझसे बड़े भाईसाहब नानी के कहने पर घर के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए कस्बे की ओर चले। भाईसाहब और मामाजी एक ही उम्र के थे और एक ही क्लास में विभिन्न पाठशालाओं में पढ़ते थे। चौंकिए मत! तब ऐसा होता था। दोनों का मन मुझे साथ में लेने का नहीं था परन्तु मैं साथ में जाने के लिए नानी से कह रहा था। उनके मनाने पर वह दोनों मुझे साथ में लेने के लिए तैयार हुए। उनका कारण सही था क्योंकि दो किलोमीटर पैदल ही चलना था और मैं आगे जाकर समस्या पैदा कर न करूँ और उनको फिर पूरे समय गोद में ही उठा कर चलना पड़ता। हम तीनों घर से चले और दोनों ने मुझे बीच में रख कर दोनों ओर से उंगलियाँ पकड़ ली और कदम-कदम आगे बढ़ा रहे थे। गाँव से आधा किलोमीटर कच्चा रास्ता था परन्तु अति सुन्दर। दायें-बायें खेत सुनहरी रंग के फूलों से लहलहा रहे थे और साथ में कलकल करती एक नदी हमारे साथ-साथ चल रही थी जिसकी मधुर ध्वनि मुझे दोनों हाथों को कस कर पकड़ने और झूला झुलाने के लिए विवश कर रही थी। इसके बाद यह रास्ता पक्की सड़क से मिल गया और अब मेरे दोनों साथी और सतर्क हो गए क्योंकि एक तो गिरने से ज्यादा चोट लग जाती और दूसरा वाहनों का आवागमन भी था। हमारे गाँव और कस्बे का बीच में सेना का एक शिविर था जिनका परिसर सदा सजा-संवरा रहता था। उनकी वर्दी कड़क और साफ थी। हम अब वहाँ पहुँच गए तो हम उस समय ड्यूटि पर तैनात संतरी ने हमें अपनी ओर बुलाया। मैं उसे देख कर डर गया और अपने दोनों साथियों के पीछे छुप गया। यह डर और शर्मीलेपन का मिश्रण था। बहुत दिनों से घर से दूर रहने के कारण स्वाभाविक है कि सैनिक बच्चे को देख कर खुश हुआ और थोड़ी देर मुझसे बात करना चाह रहा था और मेरा नाम हिंदी में पूछ रहा था परन्तु मैंने किसी बात का उत्तर नहीं दिया। थोड़ा शर्माने के कारण और थोड़ा हिंदी भाषा को न जानने के कारण। खैर, अब हम कस्बे की ओर बढ़े और मामाजी और भाईसाहब ने कुछ खरीदारी की, कुछ

खाया-पिया। थोड़ा सा बाज़ार घूमे और थोड़ी देर एक सुन्दर पार्क के अन्दर चले गए जिसमें दरवाज़े के बदले घूमने वाले गेट लगे थे जिस पर मैं थोड़ी देर झूला। थोड़ी देर घूमने के बाद हमने घर की ओर प्रस्थान किया।

मेरे मामाजी को यह बात याद थी कि जब हम सैनिक शिविर के पास पहुँचेंगे तो फिर से वह सैनिक या अन्य सैनिक जो ड्यूटी पर होगा, हमें रोक कर मुझसे कुछ ना कुछ पूछेंगे। इस कारण उन्होंने मुझे सिखाया कि जब वह पूछेंगे कि नाम क्या है-तो बोलना "पिंकूजी" जोकि मेरा घर का नाम था। चलते-चलते वह मुझसे बार-बार उस लाइन को दोहराते रहे और वास्तव में मुझे यह पंक्ति याद भी हो गयी। इसी बीच हम उस स्थान पर पहुँच गए और जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। सैनिक ने हमें अपनी ओर आने के लिए इशारा किया। हम उसके समीप चले गए। वह मुझे बड़े ही प्यार से हैलो कहने लगा और मेरे सिर पर हाथ फेरता रहा। उसके हैलो का उत्तर मैंने अपनी मुस्कान से दिया और अब वह क्षण आ गया जिसके लिए मुझे आधे घंटे से तैयार किया गया था।

सैनिक ने बड़े प्यार से पूछा, बेटे नाम क्या है- मैंने बेझिझक कहा "पिंकूजी"। वह बहुत प्रसन्न हुआ और साथ में मेरे मामाजी भी बड़े खुश हुए। परन्तु अब सैनिक ने और पूछा: बेटा कहाँ से आए तो मैंने कहा "पिंकूजी"। अब सैनिक ने पूछा कि बेटे कहाँ जाना है तो मैंने बड़े आत्मविश्वास से कहा "पिंकूजी"। मेरे पीछे खामोशी छायी परन्तु मुझे इसका बिल्कुल आभास नहीं था क्योंकि जो मुझे सिखाया गया था मैंने फटाक से बोला था।

सैनिक ने जेब से टॉफी निकाल कर मेरे हाथ में थमाई और बाय कहने लगा। मेरे वह मामा जी अब नहीं रहे पर बड़े होने के बाद भी "पिंकूजी" की याद दिलाकर चिढ़ाते थे।

> "समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है।"
>
> (जस्टिस) कृष्णस्वामी अय्यर

स्थानांतरण- एक त्रासदी

दीपक कुमार
कनिष्ठ अनुवादक

सुबह सोकर उठा तो देखा कि धर्मपत्नी जी उदासी और परेशानी की दशा में घर के कामकाज निपटाए जा रही थीं। क्या हुआ? ये पूछने पर एक नीरस या कुछ निराशा से परिपूर्ण उत्तर मिला "कुछ नहीं"। रात को सोये थे तो ये सोचकर कि अगले दिन हममें से कोई भी इस विषय में कोई परेशानी ज़ाहिर नहीं करेगा परन्तु मनुष्य मन की कमज़ोर वृत्ति या मोह इसी को कहते हैं। मैंने झलकियों से देखा तो पता चला अर्धांगिनी की आंखें ज़रा नम है। आज शाम को मुझे अपने कार्यालय जाने के लिए गृह नगर से निकलना था।

वास्तव में ये सिलसिला मेरे श्रीनगर में हुए स्थानांतरण के साथ शुरु हुआ था जो दो वर्षों का अच्छा खासा समय बीत जाने के पश्चात् भी अनवरत जारी था। दो सालों में पुन: स्थानांतरण से घर वापसी की आशा और बच्चों की पढ़ाई को बेवजह बाधित न करने के हमारे पारस्परिक निर्णय के कारण मुझे अकेले ही श्रीनगर आना-जाना पड़ रहा था। दो वर्षों में लगभग एक दर्जन बार आना-जाना हुआ था और कमोबेश ये मनोदशा हर बार ही बनती थी। सीधी ट्रेन की सुविधा न होने के कारण मुझे श्रीनगर और जम्मू के बीच सड़क मार्ग से ही यात्रा करनी होती थी जिसमें कभी 6 घंटे तो कभी-कभी 10 घंटे भी लग जाया करते थे। जम्मू से दिल्ली ट्रेन से आना होता था। कार्यस्थल से गृह नगर आने में सड़क मार्ग से आने पर होने वाली परेशानियाँ इतनी परेशान नहीं करती थी जितना घर से वापस आने पर हमारे अर्धसत्य को हताश देखने पर होती थी। घर आने में कभी 24 घंटे लगते थे तो कभी-कभी इससे भी अधिक लगते थे परन्तु परिजनों से मिलने की आशा में ये कभी भी परेशान नहीं करते थे। लौटने पर लगने वाले समय की भी यही स्थिति थी परन्तु ये कदमों को बोझिल बना देती थी।

सरकारी सेवा में आए हुए कुल 12 वर्षों से अधिक समय बीत चुका है और स्थानांतरण भी श्रीनगर में हुए स्थानांतरण को मिलाकर केवल दूसरा ही है परन्तु मैं दिल्ली स्थित गृह नगर से पहली सरकारी सेवा (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय) हेतु बैंगलोर जाने को ही अपना पहला स्थानांतरण मानता हूँ। सरकारी सेवा में आने की जितनी आश्चर्यजनक खुशी हुई थी उतनी ही पीड़ा घर और घरवालों को छोड़ने की भी हुई थी। जिन दोस्तों, गलियों, जगहों पर रहकर बड़ा हुआ था, शिक्षा प्राप्त की थी, उन्हें अचानक ही छोड़कर चले जाना बड़ा ही दुष्कर कार्य प्रतीत हो रहा था।

यों तो पुरुषों को आँसू न बहाने की कठोर प्रवृत्ति को निभाने का चिरकाल से मिले आदेश की अनुपालना करना हमारा भी कर्तव्य है परन्तु एकान्त में ये प्रथा भी तोड़ने के लिए मन क्रांति करता

है। दिल्ली से बैंगलोर जाना जीवनयापन के लिए भी परमावश्यक था और हमारे सामाजिक दायित्वों के निर्वाहन करने के लिए भी। मुझे याद है कि वेतन कम होने के कारण जब मुझे आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती थी तो रोने का मन करता था।

सरकारी सेवा में आने के कुछ महीनों के भीतर विवाह जैसी दीर्घकालिक सामाजिक परंपरा का निर्वाहन मुझे भी करना पड़ा। नये-नये विवाह के कारण नई-नई उमंगों ने भी आकर चित्त को प्रफुल्लित कर दिया। कुछ दिन तो बड़े मज़े में गुज़रे परन्तु कुछ समय बाद रक्षाबंधन त्यौहार आने पर घर जाकर बहन से राखी बंधवाना और धर्मपत्नी जी को भी लेकर जाना है परन्तु सामान्य शयनयान श्रेणी (स्लीपर क्लास) में जाना है, ये सोचकर ही होश उड़ गए। जानकारी के लिए बता दूँ कि बैंगलोर से दिल्ली की दूरी 2200 किलोमीटर से अधिक है और 32 घंटों से अधिक का समय लगता है। बहरहाल जाना तो था ही तो जैसे-तैसे अपनी हिम्मत और जरूरी सामान लेकर यात्रा शुरू कर दी। श्रीमती जी को गर्मी बर्दाश्त नहीं है, ये बात भी मुझे उसी सफर के दौरान पता चला जब उन्हें गर्मी की वजह से चक्कर और घबराना जैसी समस्या से जूझते हुए देखा। उस समय ऐसा लगा कि सरकारी सेवा में आने के बाद भी मजबूरी में ही दिन काटने हैं तो दिल्ली में घर के समीप ही स्थित साकेत जिला न्यायालय में टाईपिस्ट ब्लॉक में टाईपिंग का काम करके इससे अधिक ही कमाने के दिन क्या बुरे थे।

ये दिन भी कट जाएंगे जब 7वां वेतन आयोग आएगा अथवा हर छमाही पर महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि से वेतन बढ़ेगा और एक वार्षिक वेतन वृद्धि से वेतन सुधरेगा। ऐसे दिलासे मैं अपनी श्रीमती जी एवं परोक्ष रूप में स्वयं को देता रहता था। परन्तु इन परिस्थितियों के आ जाने पर भी आर्थिक स्थिति में ज्यादा संतुलन नहीं हो पाया था। सेवा के दौरान "ना लाभ ना हानि" (No Profit No Loss) जैसी स्थिति रही। शारीरिक समस्याओं से भी घर का खर्चा बुरी तरह से डगमगा जाता था। इन मुश्किल दिनों में श्रीमती जी ने धैर्य और समझदारी से खुद को संभाला और मुझे भी टूटने नहीं दिया। चार वर्षों के संघर्षपूर्ण और जीवट से भरे समय के पश्चात् दूसरी सरकारी सेवा में चयन हुआ जिससे मेरा स्थानांतरण मध्य प्रदेश के एक शहर जबलपुर में हो गया। वेतन अधिक और घर से दूरी कम होने के कारण ये स्थानांतरण हम दोनों एवं इसी दौरान 02 वर्षों की हो चुकी हमारी बड़ी पुत्री को भी रास आया।

जबलपुर में रहकर 06 वर्षों में ऐसे अवसर कम आए जब आर्थिक स्थिति और घर जाने में लगने वाले समय को देखकर परेशानी हुई हो। जबलपुर अपनी सांस्कृतिक विरासत और हरियाली से भरपूर होने के कारण हमें भा रहा था। पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर ये शहर नदी-झरनों, खेत-खलिहानों, प्राचीनता और आधुनिकता का संगम था। यह शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और भेड़ाघाट के संगमरमर की चट्टानों और धुआंधार जलप्रपात के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। नर्मदा नदी के तट पर होने वाली नर्मदा आरती मन को शांति प्रदान करती है। सर्दियों के दिनों में आसपास की नदियों पायली, परियट आदि के किनारे लोग पिकनिक मनाने निकल जाते थे। दिन-रात बहुत मज़े में कट रहे थे। वास्तव में जबलपुर अपने पुरातन स्वरूप को संभाले आधुनिकता में प्रवेश कर रहा था।

यह मिश्रित स्वरूप मन को बहुत सुकून देने वाला था। उसी दौरान हमारे घर एक और पुत्री का आगमन हुआ जिससे जीवन और भी खुशियों से भर गया।

विधाता भी परीक्षा लेता है क्योंकि उसी दौरान एक कुठाराघात हुआ जब मेरा स्थानांतरण जबलपुर से श्रीनगर हुआ। बच्चों की पढ़ाई में बाधा न हो एवं दो वर्षों में स्थानांतरण मनचाही जगह (पूरा परिवार दिल्ली होने के कारण मेरी मनचाही जगह-दिल्ली है) पर मिलने की उम्मीद में दोनों ने यह निर्णय लिया कि परिवार सहित सभी लोग दिल्ली रहेंगे और मैं श्रीनगर से आता-जाता रहूंगा। निर्णय लेते समय इसमें छुपी भविष्य की कठोरता को हम दोनों ही नहीं भांप पाए। पहली बार जब मैं दिल्ली से बैंगलोर गया था तो वैसी ही या यूं कहूँ कि उससे भी अधिक तकलीफ हुई क्योंकि माता-पिता के साथ पत्नी और दो बच्चियों को भी पीछे छोड़कर जाना था। बडी बच्ची अब बिछोह को समझने लगी थो तो वह मुझसे लिपटकर आँसू बहाने लगी थी। उसे ऐसा करते देख मैं भी अपनी अश्रुधारा को रोक नहीं पाया था। छोटी बेटी अभी भावनाएं नहीं समझती थी। वह केवल अपनी माँ के कहने पर "पापा जल्दी आ जाना" ही कह पाती थी। ये शब्द मुझे वज्र की तरह कठोर आघात करने वाले लगते थे। जब मैं पत्नी की तरफ देखता तो वह मुझसे नज़र चुराती थीं और इसका कारण मुझे पता होता था कि वह अपना दामन गीला करके अपने को "मैं ठीक हूँ" कहने का साहस जुटा रही होती थी। कहने को तो मैं अकेला ही यात्रा कर रहा होता था पर मुझे उन यादों को भी साथ रखना होता था। वास्तव में अपनों से बिछड़ना दुख देता है और ये वेदना मैं दो वर्षों में कई बार झेल चुका हूँ।

स्थानांतरण कभी अपार खुशी देता है तो कभी अथाह दर्द भी देता है। वास्तव में स्थानांतरण एक त्रासदी ही है क्योंकि कई वर्ष एक जगह रहने पर उस जगह से, वहाँ के लोगों के साथ लगाव होने पर उन्हें पलभर में छोड़कर किसी जानी/अनजानी जगह पर जाना और जीवन की फिर से शुरुआत करना एक दुष्कर कार्य ही है।

मैं आज फिर कार्यस्थल पर जाने वाला हूँ और मुझे पता है कि बिछडने के पल सभी को दुख के अथाह सागर में डुबो देंगें। ये ख्याल ही वज्राघात करने लगता है। मुझे धर्मपत्नी और दोनों बेटियों की आँखों में देखने का साहस नहीं होता क्योंकि उनकी नज़र पड़ने पर मूक प्रश्न मुझे घेर लेंगे। "फिर कब आओगे", "पापा जल्दी आ जाना"। कदम अब बोझिल होने शुरु हो गए हैं।

"हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य को सर्वांगसुंदर बनाना हमारा कर्त्तव्य है।"

-डॉ. राजेंद्र प्रसाद-

विवेक जागरूक रखना

रमेश कौल

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

अन्य जीवों की अपेक्षा जो श्रेष्ठतम गुण मनुष्यों में है वह है बुद्धि। सर्वत्र मनुष्य की बुद्धि के नाना चमत्कार ही दिखाई दे रहे हैं। कौए के पश्चात् शायद मनुष्य ही सबसे होशियार है। देखा गया है कि बुद्धि की रुझान चालाकी, बेईमानी, धूर्तता, धोखेबाज़ी आदि की ओर है। इंसान दूसरों को धोखा देना चाहता है और अपने-आप स्वार्थमय विलासी जीवन व्यतीत करना चाहता है। इसी में उसकी बुद्धिमानी का उपयोग हो रहा है। यह होशियारी मनुष्य का क्षय ही करने वाली है। दगाबाज़ी, झूठ, फरेब, जेबकट, धोखा इत्यादि अनेक रूपों में मनुष्य की बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है।

गायत्री-विद्या में सद्बुद्धि करने की शिक्षा दी गई है। "ध्य" शब्द का अर्थ विवेक होता है। विवेक क्या है? न्याययुक्त निष्पक्ष लोक-कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित होकर जो विचार किया जाता है, वह विवेक है। जब हृदय में विवेक जागृत हो जाता है तब वह हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर आरूढ़ करता है। विवेक शरीर तथा मन का गुरु है। विवेक का संबंध विश्व में व्याप्त चैतन्य शक्ति से है। विवेक के द्वारा हम ईश्वर से अपना संबंध जोड़ते हैं। विवेक ईश्वर से संबंध जोड़ने का माध्यम है। इससे हम उन तमाम शक्तियों का उपयोग करते हैं जो ईश्वर में व्याप्त हैं।

गीता ईश्वर की वाणी से संबंध जोड़ने का एक माध्यम है। देवताओं की विभिन्न मूर्तियाँ दैवी गुणों के विभिन्न माध्यम हैं। ईश्वर के चित्रों में हम दैवी गुणों को ग्रहण करते हैं। विवेक के रूपों में हमारे हृदय में ईश्वर बैठ हुए हैं। विवेक परमेश्वर की वाणी है। विवेक सत्य है। उसे जागृत करने करने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। आज के बुद्धि-वैभव-भ्रमित युग में विवेक ही हमें ठीक दिशा में अग्रसर रख सकता है।

आप यह सोचकर भयभीत न हों कि आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, विद्वानों के संपर्क में नहीं रहे हैं, विवेक आपके साथ है। आप ध्यान से सुनें तो विवेक आपका मार्ग प्रकाशमान रखेगा। इसमें जो ईश्वर तत्व है वही विवेक है। वह मस्तिष्क में सर्वत्र व्याप्त है। यही हमारी उन्नति की दशा को उचित दिशा में रखने वाला है।

बुद्धि, विवेक और तर्क-ये तीन ऋषि हैं जो हमारे हृदय में विराजमान हैं। ये हमें सत्य की खोज में सहायता प्रदान करने वाले हैं। जितना-जितना हम आगे चलेंगे, उतना ही हमारा मार्ग प्रकाशित होता

चलेगा। यह हमारे व्यक्तित्व का क्रमिक विकास है। हमारी जीवात्मा जो कहती है, वह वास्तव में मुक्तिदाता है।

प्रत्येक देश काल पात्र के अनुकूल समाज की भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ रहती हैं। कहीं हिंसा का पक्ष लिया गया है तो कहीं उसके विपक्ष का; कहीं विधवा-विवाह का खण्डन है तो कहीं मंडन। एक काल और व्यक्ति के लिए जो बात ठीक हो सकती है, वह दूसरे काल तथा व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जो बातें प्राचीन काल में उचित थीं, संभव है वे अब उचित न रहें। इस नीर-क्षीर को पृथक करने में विवेक का मुख्य हाथ है।

"भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है। हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है।"

-नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री)-

कृषि

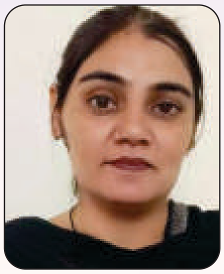

प्रवेश डागर
लेखाकार

आज के समय में कृषि भारतीय अर्थव्यस्था का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत का कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा है। किसी भी देश के लिए कृषि एक आजीविका का साधन है।

1. **प्रस्तावना-**
   भारत का अधिकांश क्षेत्र कृषि पर निर्भर करता है। इससिए इसे कृषि प्रधान राष्ट्र कहा जाता है। कृषि भारत में 70 प्रतिशत लोगों की आजीविका का साधन है। कृषि हमेशा मानव अस्तित्व की मांगो को पूरा करती रहेगी और बदलती दुनिया की मागों को पूरा करती रहेगी। दुनिया भर में लाखों लोग कृषि पर निर्भर है। यहाँ तक कि पशु भी अपने चारे के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि की दुनिया में आधुनिक उपकरणों और मशीनरी के उपयोग से परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। खेती के पारम्परिक तरीकों क बदलने के लिए नई तकनीकों को प्रयोग किया जाता है।
2. **कृषि का महत्व-**
   कृषि बदलती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने और ग्रामीण किसानों के लिए रोजगार और आय के व्यय अवसर प्रदान करने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए एक आवश्यक उद्योग है। कृषि का राष्ट्रीय आज में बहुत बड़ा योगदान है। कृषि का लगभाग 70 प्रतिशत हिस्सा निर्यात किया जाता है।
3. **समस्याएँ-**
   भारतीय कृषि के अपर्याप्त विकास के मूल में कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें दूर किए बिना कृषि का विकास सम्भव नहीं है।

   अ. भारत में ज्यादातर किसानों के पास कृषि में निवेश के लिए पूंजी का अभाव है। आज भी देश मनें ज्यादातर किसानों को ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। कई बार किसानों के पास इतनी भी पूंजी नहीं होती कि वे खाद, बीज, सिंचाई जैसी बुनियादी चीजों का प्रबंध कर सकें, जिससे किसान समय पर फसलों का उत्पादन नहीं कर पाते।

   ब. भारत में अधिकांश क्षेत्रों में आज भी सिंचाई सुविधाओं की कमी है। सिंचाई उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते। इलसिए अधिकांश किसान मानसून पर निर्भर हो जाते हैं और

समय पर वर्षा न होने पर उनकी फसलें खराब हो जाती है। कई बार तो निर्वाह करने लायक भी उत्पादन नहीं हो पाता।

स. भारतीय किसानों की एक बड़ी आबादी के पास बहुत कम मात्रा में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। इसका कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। इसलिए कृषि किसानों के लिए लाभ कमाने का माध्यम न होकर निर्वाह करने का माध्यम बन गई है।

द. किसानों को उनकी उपज की पर्याप्त कीमत नहीं मिल पाती जिसके कारण उन्हें काफी हानि का सामना करना पड़ता है।

य. कुछ अन्य कारणों में कृषि में आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग न कर पाना, भंडारण की सुविधाओं में कमी, अन्य सुविधाओं का अभाव तथा मिट्टी की गुणवत्ता में कमी के कारण भी आज उपज में समस्याएँ आती हैं।

4. समाधान-

भारत सरकार इस क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए निम्न समाधान कर रही हैः-

अ. कृषि क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है साथ ही उर्वरकों की उतनी ही मात्रा का प्रयोग किया जाना जितनी मृदा के अनुसार प्रयोग करना उचित है। इससे मृदा की गुणवत्ता में सुधार होगा और साथ ही उर्वरकों पर होने वाले खर्च में कमी आएगी।

ब. कृषि उपज को नष्ट होने से बचाने के लिए गोदामों और कोल्ट स्टोरेज को बढ़ाया जा रहा है। इससे उपज की बर्बादी रूकेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी निर्यात किया

स. खाद्य प्रसंस्करणों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

द. उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार के निर्माण पर भी बल दिया गया है। इससे देश में किसानों में समानता आएगी और किसानों को पर्याप्त लाभ मिलेगा।

य. सरकार द्वारा समय-समय पर किसान सम्मेलन और किसान मेलों का आयोजन किया जा रहा है जिससे उनको उपज संबंधी जानकारी दी जा रही है।

र. अलग-अलग क्षेत्रों में सूखे, अग्नि, चक्रवात, अति वृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए फसल बीमा कराया जाता है।

ल. विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डेयरी, पशु-पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन इत्यादि कृषि सहायक क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है ताकि किसानों को इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

5. उपसंहार-

देश की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर करती है। अतः देश में गरीबी उन्मूलन रोजगार में वृद्धि, भुखमरी इत्यादि को तभी कम किया जा सकता है जब कृषि और किसानों की हालत में सुधार किया जा सके। उपरोक्त समस्याओं और उसके उपायों को सही तरीके से लागू किया जाए तो निश्चित तौर पर कृषि की दशा को सुधारा जा सकता है। इससे इस क्षेत्र में व्याप्त निराशा में कमी आएगी और खेती छोड़ चुके लोग फिर से इस क्षेत्र में रूचि लेने लगेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, क्योंकि कृषि का किसी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है। कृषि भारत में लोगों की आजीविका प्रदान करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। कृषि आय का प्रमुख स्त्रोंत है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भी कृषि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए।

"इस विशाल प्रदेश के हर भाग में शिक्षित-अशिक्षित, नागरिक और ग्रामीण सभी हिंदी को समझते हैं।" -

राहुल सांकृत्यायन।

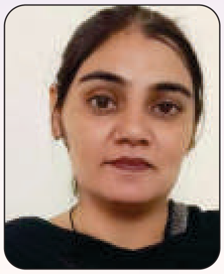

महिला सशक्तिकरण

प्रवेश डागर
लेखाकार

प्रस्तावना-

आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे आदि ग्रन्थों में नारी के महत्व को मानते हुए यहां तक बताया गया है कि,

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते त्रत देवता"

अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं।

लेकिन विडम्बना तो देखिए नारी में इतनी शक्ति होन के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, सम्पत्ति और दूसरी वस्तुओं की उपलब्धता से है, इन ही सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा कर सकती है।

राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिका के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहजे प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वैश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय।

नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ मनें आएगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सकें।

स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित-परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकताः-

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्रचीनकाल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आई। जितना सम्मान उन्हें प्राचीनकाल में दिया जाता था, मध्यकाल में वह सम्मान घटने लगा था।

(1). आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएँ कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ है। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएँ आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य है और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं है।

(2). शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएँ पुरूषों की अपेक्षा काफी पीछे है। भारत में पुरूषों की शिक्षा दर 81.30 प्रतिशत है जबकि महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 60.60 प्रतिशत ही है।

(3). भारत के शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के अपेक्षा अधिक रोजगारशील है, आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरों में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएँ कार्य करती हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभाग 90 प्रतिशत महिलाएँ मुख्यतः कृषि और इससे जुडे क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती है।

(4). भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। एक अध्ययन में सामने आया है कि समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भी भारत में महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा 20 प्रतिशत कम भुगतान दिया जाता है।

(5). भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में महिला देवियों को पूजने की परंपरा है लेकिन आज केवल यह एक ढोंग मात्र रह गया है।

(6). पुरूष पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक, राजनीतिक अधिकार (काम करने की आजादी, शिक्षा का अधिकार आदि) को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया।

(7). आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकार के लेकर ज्यादा जागरूरक है जिसका परिणाम हुआ कि कई सारे स्वयं सेवी समूह और एनजीओ आदि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए आने वाली बाधाएः-

(1). पुरानी और रूढ़ीवादी विचारधाराओं के कारण भारत के कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं के घर छोड़ने पर पाबंदी होती है। इस तरह के क्षेत्रों से महिलाओं को शिक्षा या फिर रोजगार के लिए घर से बाहर जाने के लिए आजादी नहीं होती है।

(2). पुरानी और रूढ़ीवादी विचारधाराओं के वातावरण में रहने के कारण महिलाएँ खुद को पुरूषों से कम समझने लगती है और अपने वर्तमान सामाजिक और आर्थिक दशा को बदलने में नाकाम साबित होती है।

(3). कार्यक्षेत्र में होने वाला शोषण भी महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा है। निजी क्षेत्र जैसे सेवा उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, शैक्षिक संस्थाएँ और अस्पताल इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।

(4). समाज में पुरूष प्रधानता के वर्चस्व के कारण महिलाओं के लिए समस्याएँ उत्पन्न होती है।

(5). समाज कार्य को समान समान समय तक कराने के बावजूद भी महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा काफी कम भुगतान किया जाता है।

(6). महिलाओं में अशिक्षा और बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसे समस्याएँ भी महिला सशक्तिकरण में बाधाएँ हैं। वैसे तो शहरी क्षेत्रों में लड़कियाँ शिक्षा के मामले में लड़कों के बराबर है। पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस मामले में काफी पीछे है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिकाः-

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएँ चलाई जाती हैं।

(1). बेटी बचाओ बेची बढ़ाओः-

यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। इसके अंतर्गत लड़कियों की बेहतरी के लिए योजना बनाकर और उन्हें आर्थिक सहायता देखर उनके परिवार में फैली भ्रांति कि लड़की एक बोझ है, की सोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

(2). महिला हैल्पलाइन योजनाः-

इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 24 घंटे इमरजेंसी सहायता सेवा प्रदान की जाती है, महिलाएँ अपने विरूद्ध ने वाली किसी तरह की हिंसा या अपराध की शिकायत इस योजना के तहत निर्धारित नम्बर पर कर सकती हैं। इस योजना के तहत पूरे देश भर में 181 नम्बर को डायल करके महिलाएँ अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है।

(3). सपोर्ट टू ट्रैनिंग एंड एंपलायमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेनः-

इस अंतर्गत कई सारे क्षेत्रों में जैसे कि कृषि, बागवानी, हथकरघा, सिलाई और मछली पालन आदि के लिए महिलाओं को शिक्षित किया जाता है ताकि वह स्वयं का रोजगार शुरू कर सके।

(4) महिला शक्ति केंद्रः-

इस योजना में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर और उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।

(5). पंचायतीराज योजनाओं में महिलाओं के लए आरक्षणः-

भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायतीराज संस्थानों में 50 फीसदी महिला आरक्षण की घोषणा की, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारा जाए।

महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका-

बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़-लिखकर स्वतंत्र है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा स्वयं अपना निर्णय लेती है। अब वह चारदीवारी से बाहर निकलकर देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है। महिलाएँ हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। इसी वजह से राष्ट्र के विकास के महान काम में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

उपसंहारः-

जिस तरह से आज भारत दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वह मजबूती प्रदान करती है, जो उन्हें हक के लिए लड़ने में मदद करता है। इक्कीसवीं सदी नारी जीवन में सुखद सम्भावनाओं की सदी है। आज की नारी अब जागृत और सक्रीय हो चुकी है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है "नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों एवं कड़ियों को तोड़ने लगेगी, तो विश्व की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी।" वर्तमान में नारी नें रूढ़ीवादी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।

"हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।"

\- डॉ. राजेंद्र प्रसाद

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसः भविष्य की ओर एक कदम और

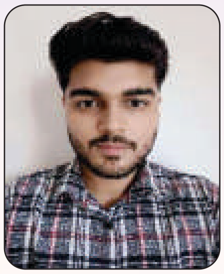

नीरज जांगिड़
लेखाकार

आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमता के नाम से भी जानते हैं, आज के युग में एक महत्वपूर्ण और विकासशील क्षेत्र बन चुका है। यह विज्ञान और प्रोद्योगिकी की वह शाखा है जो मानव मस्तिष्क की सोच और समझ को कम्प्यूटर प्रणालियों में लागू करने का प्रयास करती है। AI का उद्देश्य मशीनों को इस तरह से सक्षम बनाना है कि वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, सोच सकें, समझ सकें और निर्णय ले सकें।

AI (कृत्रिम बुद्धिमता) का इतिहासः-

आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस की शुरूआत 1950 में हुई, जब ब्रिटिश गणितज्ञ और लॉजिकियन एलन ट्यूरिंग नें □ट्यूरिंग टेस्ट□ पेश किया। जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या मशीनें सोच सकती है। इसके बाद से AI में कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई और आज हम जिस तरह AI का अनुभव कर रहे हैं, वह शुरूआती विचारों से कहीं अधिक विकसित हो चुका है।

AI के प्रमुख क्षेत्रः-

01. **मशीन लर्निंग (Machine Learning):-** यह AI का प्रमुख हिस्सा है, जिसमें मशीने डेटा से सीखकर निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता प्राप्त करती है। उदाहरण के लिए, गूगल का सर्च इंजन, जो आपको पिछले खोज इतिहास के आधार पर परणामों को बेहतर बनाता है, मशीन लर्निंग का उदाहरण है।
02. **डीप लर्निंग (Deep Learning):-** मशीन लर्निंग का ही एक उन्नत रूप, जिसमें न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके डेटा से ज्यादा से ज्यादा जटिल पैटर्न और निर्णय प्रक्रियाएँ सीखी जाती है। उदाहरण के तौर पर, सेल्फ-ड्राइविंग कारों का काम करना, जो लगातार परिवेश का विश्लेषण करती है, डीप लर्निंग की देन है।
03. **नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP):-** यह AI का वह शाखा है, जो मशीनों को मानव भाषा समझने और जवाब देने की क्षमता प्रदान करती है। जैसे कि Google Assistant या Siri जो आपको सवालों का उत्तर दे सकते हैं, या फिर Chatbots जो ग्राहक सेवा में मदद करते हैं।

AI का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभावः-

01. **शिक्षाः-** AI का शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। स्मार्ट क्लासरूम, पर्सनलाइज्ड लर्निंग और आर्टिफिशियल टीचर्स के माध्यम से शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। AI के माध्यम से छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार सीखने के तरीके मिल सकते हैं।
02. **स्वास्थ्यः-** AI का उपयोग मेडिकल डायग्नोसिस, रोगों की पहचान और इलाज के विकल्पों को सुझाने में हो रहा है। उदाहरण के लिए, AI की मदद से कैंसर जैसी जटिल बिमारी का जल्दी और सटीक निदान किया जा सकता है। साथ ही, रोबोट्स की मदद स सर्जरी भी अब और अधिक सटीक तरीके से की जा सकती है।
03. **कृषिः-** किसानों को AI के माध्यम से मौसम के पूर्वानुमान, मिट्टी की गुणवत्ता, और फसल के लिए उपयुक्त परस्थितियों के बारे में जानकारी मिल रही है। इससे उत्पादन में वृद्धि और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो रहा है।
04. **व्यवसायः-** AI का इस्तेमाल कस्टमर सपोर्ट, डेटा एनालिसिस और मार्केटिंग में हो रहा है। यह व्यवस्थाओं को उनके ग्राहकों के व्यवहार को समझने और उनके लिए बेहतर सेवाएँ प्रदान करने में मदद करता है।
05. **ऑटोमोटिव क्षेत्रः-** सेल्फ ड्राइविंग कारों का विकास भी AI का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें AI कै उपयोग वाहन के संचालनस, सुरक्षा और यातायात स्थितियों को समझने में किया जा रहा है।

<u>AI के लाभ एवं चुनौतियाँ</u>

लाभः-

01. **समय और लागत की बचतः-** AI तकनीकी कार्यों को स्वचालित करने में मदद करता है, जिससे समय की बचत होती है और लागत कम होती है। इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है।
02. **भूल-चूक में कमीः-** मशीनों में मानवीय गलती की संभावना कम होती है, जिससे निर्णय प्रक्रिया और कार्यों में अधिक सटीकता होती है।
03. **नवीनतम शोध और विकासः-** AI नई खोजों और अनुसंधान में भी सहायक है, जिससे नए इलाज, तकनीक और समाधान निकल रहे हैं।
04. **सुरक्षाः-** AI का उपयोग सुरक्षा प्रणालियों में भी किया जा रहा है। AI आधारित कैमरे और सेंसर्स अपराधियों को पहचानने में सक्षम है और डेटा को रीयल-टाइम में ट्रैक करने में मदद करते हैं।

AI की चुनौतियाँ

हालांकि AI के बहुत से लाभ हैं लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी है। जैसेः-

01. **रोजगार में कमीः**- जहां AI कई कार्यों को स्वचालित कर रहा है, वहीं कुछ जॉब्स को खत्म भी कर रहा है। इससे बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है।
02. **नैतिक मुद्देः**- AI के फैसलों में मानवीय समझ की कमी होती है जिससे कई बार गलत फैसले हो जाते हैं। इसके अलावा डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता का विषय है।
03. **सामाजिक असमानताएः**- अगर AI के लाभ का सही तरीके से वितरण नहीं किया जाए तो यह समाज में असमानता पैदा कर सकता है।

AI का भविष्य

AI का भविष्य बेहद उज्ज्वल है। जैसे-जैसे तकनीक में सुधार होत जाएगा, वैसे-वैसे AI हमारे जीवन के और भी कई पहलुओं में शामिल होता जाएगा।

AI के विकास को लेकर चिंताएँ भी हैं, लेकिन अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो, यह जीवन को सरल, सुरक्षित और उन्नत बना सकता है। इसके लिए जरूरी है कि इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें ताकि यह समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी साबित हो सके।

निष्कर्ष

AI न केवल विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे समाज का भी अहम हिस्सा बन चुका है। यह समय की मांग है कि हम इस नई तकनीकी क्रांति को समझें और इसका लाभ उठाएँ। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुडी है हुई है लेकिन सही दिशा में इसका उपयोग करके हम बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।

"हिंदी हमारे देश की धड़कन है, जिसे देश के हित में गतिशील बनाए रखना हम सब की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।"

रामधारी सिंह दिनकर

विश्लेषक

दीपक कुमार
कनिष्ठ अनुवादक

सुबह दफ्तर आने के बाद दोपहर के भोजनावकाश का समय से हो गया था। मैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रम जी सुबह के खाने के दफ्तर के काम में जी-जान से लगे रहने के कारण पचा चुके थे। इसलिए अब दोपहर का खाना खाने की प्रबल इच्छा हुई। फिर क्या था, विक्रम जी की सहमति मिलने पर हम दोनों कार्यालय के बाहर लेकिन कार्यालय की सीमा से ही लगे हुए “दाना-पानी” ढ़ाबे पर अपने दाना-पानी के लिए कूच कर गए। कार्यालय की सीढ़ियों से उतरते हुए अन्य अनुभागों में कार्यरत कुछ कर्मचारी मिलते गए जिनसे कुछ भागते-भागते की दशा में ही वार्तालाप हुआ। इनमें से कुछ कर्मचारी तो इस ताक में ही रहते हैं कि कोई श्रोता मिल जाए तो वे अपनी जीवन भर की ज्ञान गठरी खोल कर हमें दे दें और कुछ ऐसे जो केवल मुस्कुराकर अभिवादन करते हुए अपने-अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए।

बहरहाल, हम भी सभी से मिलते-जुलते, ज्ञान-गंगा एक्सप्रेसों से बचते हुए कार्यालय की सीढ़ियों से नीचे उतर गए। यों तो हमारा कार्यालय तीसरी मंज़िल पर स्थित है पर हमें कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी तो हम कुछ ही सेकंडों में कार्यालय की कुछ 70-80 सीढ़ियों को उतर गए और कार्यालय परिसर से बाहर निकल आए। हम दोनों कुछ ही क्षणों में ढ़ाबे पर थे। यों तो इस जगह 2-3 और भी ढ़ाबे हैं जहां हमें अपनी पसंद का खाना मिल जाता है या कभी-कभी अधिक भूख न होने पर चायपान की भी व्यवस्था है परन्तु कार्यालय के अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति एवं ढ़ाबे के मालिक द्वारा सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था करने पर ये हमें भी अधिक पसंद था।

मैंने विक्रम जी से उनकी इच्छा पूछी और ढ़ाबे के कर्मचारी से खाने की व्यवस्था करने का अनुरोध करके मेज़ पर अपना दूरसंचार यंत्र जिसे आम बोलचाल में मोबाइल कहा जाता है, रखकर कुर्सी पर बैठ गया एवं विक्रम जी मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए। दिन भर के किए गए कामों की समीक्षा एवं आगे किए जाने वाले कामों की चर्चा हम कर ही रहे थे कि वहां सामने ही कुर्सी पर टिके हमारे ही कार्यालय के कुछ कार्मिक क्रिकेट के पिछले मैच का विश्लेषण करते सुनाई दिए। एक ने कहा, रोहित शर्मा कवर ड्राईव अच्छी मारता है, धोनी का हैलीकॉप्टर ब्रांडेड शॉट हार्दिक पांड्या भी अच्छा मार लेता है। दूसरा कुछ सहमत हुआ और उसने अन्य क्रिकेटरों के विषय में अपनी राय जाहिर की जिस पर पहले ने कतिपय असहमति जाहिर की।

दोनों से बात करने पर पता चला कि वे क्रिकेट भौतिक स्वरूप में नहीं खेले हैं। खेल के नाम पर उन्होंने विदेशी मोबाइल गेम "पबजी" को ही अपना बहुमूल्य समय समर्पित किया है और सरकारी सेवा में आने से पहले वे अपने घर वालों से जिद करके नया फोन लिया करते थे जिसमें अच्छे ग्राफिक्स रैम और स्टोरेज अच्छी हो जिसमें उनके पबजी के अनुभव को और अधिक रोमांचकारी और आनंददायी बनाया जा सके। समय मिलने पर मोबाइल पर ही लूडो एवं अन्य खेलों का आनंद उन्होंने लिया हुआ है। मुझे उस बात से आश्चर्य हुआ कि बिना खेले वे कैसे एक खेल का विश्लेषण कर रहे थे। उनके जाने के बाद ढ़ाबे का कुक बताने लगा कि कैसे उसने भी ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल पर अपनी टीन बनाई थी परन्तु इच्छानुसार/मनवांछित फल न मिलने पर अपने द्वारा चुने गए खिलाड़ियों को कोस रहा था कि कैसे उन्होंने उसकी इच्छा के विपरीत उसे एक करोड़ रूपये जिताने में अपना योगदान नहीं दिया। वह भी अपना खेल जगत का 'विश्लेषण' हमारे सामने प्रस्तुत करने लगा।

हमने खाना खत्म किया तो कुछ सहृदय जानकार लोग हमें मिल गए। एक ने अपने वरिष्ठ के कार्याकलापों का विश्लेषण करना शुरु कर दिया कि उन्हें फलां नियम पर अधिक नहीं पता हैं परन्तु वह इस पर भी अपना ज्ञान उस पर लादता रहता है। इस पर मूक सहमति दूसरे ने प्रकट की। हम उन्हें वहीं पर छोडते हुए कार्यालय की तरफ बढ़े। रास्ते में हमें दो राहगीरों ने रोककर रास्ता पूछा तो अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए हमने कहा कि हम भी यहाँ के नहीं हैं तो उन्होंने उत्सुकतावश पूछा कि हम कहाँ के रहने वाले है? मैंने हमारे गृहनगर का सूक्ष्म परिचय देते हुए आगे बढ़ने लगे तो इस पर दोनों राहगीर हमारी सामाजिक और भौगोलिक स्थितियों का विश्लेषण करने लगे। ये सब सुनने के लिए हम दोनों ही इच्छुक नहीं थे तो हमने अपनी राह ली।

कार्यालय में पहुंच कर मौसम खराब होने के कारण अनुभाग में चलना ही उचित समझा। अपनी-अपनी कुर्सियों पर धंसते हुए दोनों ने चैन की सांस ली। मैं सुबह लिए गए अखबार को चाटने (पढ़ने) लगा। विक्रम जी भी अपने मैसेज पढ़ने में व्यस्त हो गए। अख़बार में भी अपने पसंदीदा पृष्ठ संपादकीय में नज़रें गडाने पर देखा कि वहां भी विश्लेषकों की कई प्रजातियों के बारे में विश्लेषण किया गया था। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, खेल-जगत आदि के प्रचलित विश्लेषकों के अतिरिक्त नई प्रजातियों जो ऑनलाइन ही ज्यादा दिखाई/सुनाई देती है, जैसे मीडिया इंफ्लुएंसर ब्लॉगर उभरते हुए कुक, डांसर आदि को जगह दी गई थी।

कोई भौगोलिक (किसी क्षेत्र विशेष) का विश्लेषण कर रहा है तो कोई वहां के लोगों के जीवन स्तर का तुलनात्मक विश्लेषण कर रहा है। फलां जगह/राज्य के लोग संपन्न एवं शिक्षित हैं और फलां जगह/राज्य के लोग अपेक्षाकृत संपन्न होने की श्रेणी में नहीं आते एवं शिक्षा का स्तर भी वहां सुखदाई नहीं है। अब मैं भी लोगों की मनोवैज्ञानिक दशा और अन्य स्थितियों का विश्लेषण सामाजिक, आर्थिक आदि के अनुसार करता हूं। मैं भी अपने आप को विश्लेषक समझने लगा हूं।

कश्मीर में पर्यटन

मसरत हसन
लेखाकार

कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की सुंदरता, हरे-भरे पहाड़, झीले, बाग-बगीचे और शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर खींचते है। कश्मीर की वादियों में घूमना एक अद्भुत अनुभव है। डल झील की शिकारा की सैर हो या गुलमर्ग की बर्फीली ढलानें, हर जगह प्राकृतिक सुंदरता का अद्वितीय नजारा देखने को मिलता है।

कश्मीर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यहाँ के मंदिर, मस्जिद और बाग-बगीचे पर्यटकों को अतीत की झलक दिखते है। श्रीनगर, पहलगाम, सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थल हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते है।

कश्मीर में पर्यटन न केवल लोगों को प्राकृतिक सुंदरता से जुड़ने का अवसर देता है, बल्कि यहाँ के लोगों की जीवनशैली, कारीगरी और व्यंजनों को भी करीब से जानने का मौका मिलता है। यहाँ की हस्तशिल्प खासकर कश्मीरी शॉल और कालीन विश्वभर में प्रसिद्ध है।

कश्मीर का मौसम भी परीतान के अनुकूल होता है। गर्मियों में यहाँ की ठंडक और सर्दियों में बर्फबारी का आनंद लेने हजारों पर्यटक आते है। हालांकि, कश्मीर में स्थायित्त्व की कमी और राजनीतिक अस्थिरता कभी-कभी पर्यटन को प्रभावित करती है, लेकिन फिर भी कश्मीर की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति का आकर्षण कभी कम नहीं होता।

"देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध है।"

-महावीर प्रसाद द्विवेदी-

पर्यावरण, हम और वो (पूँजीवाद)

अनूप कुमार
सहायक लेखा अधिकारी

आज हम एक विकसित समाज की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम संस्कृति और पर्यावरण को हो रही हानि को नजरअंदाज कर रहे हैं। लगभग अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर हमने प्राइस टैग लगा दिया है। पानी जो हम प्रकृति से उपहार के रूप में प्राप्त करते थे, उसे हमनें बड़े स्तर पर दूषित कर रखा है। एक तरफ जहाँ यह दूषित हो रहा है वहीं दूसरी तरफ यह बेचा जा रहा है। बड़े शहरों में RO+फिल्टर का उपयोगम अनिवार्य हो चुका है। जल के अलावा भी कई सामाग्री और सेवाएं भी अब मुफ्त में मिलना एक चुनौती हो गई है।

उसी तरहा हवा भी आज उतनी साँस लेने लायक रही नहीं। हवा को शुद्ध रखने के लिए भी कई उपकरणों का उपयोग आवश्यक हो चुका है। इन बदली हुई परिस्थितियों से मानव जीवन प्रत्याशा उम्र घट रही है। क्या अब जीवन की मूलभूत जरूरतों को प्राप्त करने के लिए अब पूँजीवाद का सहारा लेना पड़ेगा?

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम दौड़, व्यायाम इत्यादि सहजता से कहीं भी अभ्यास कर सकते थे पर शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव से ये क्रियाएं एक कमरे तक सिमट गई हैं और इनके उपयोग के लिए हम जिम फीस अदा कर रहे हैं। क्या जो सुवधाएं हमे प्रकृति से विरासत में मिली हैं, उन्हें प्राप्त करन के लिए हमें भुगतान करना पड़ेगा? मतलब, मूलभूत प्राकृतिक सेवाएं भी अब अमीर ही वहन कर सकेगा।

भारत के संविधान का आर्टिकल 21 हमे यह जीवन का अधिकार प्रदान करता है। इसमें स्वच्छ पर्यावरण भी सम्मिलित है। बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण इत्यादि ने जहाँ एक और विकास का भरोसा दिया, वहीं दूसरी ओर अकारण सीमा से परे संसाधनों का दोहन किया और प्राकृतिक संपदा को खतरे में डाला। इस प्रकार हमारे सामने चुनौती है कि हम विकास के साथ-साथ कैसे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को सुनिश्चित करें। जल संरक्षण का उपयोग एक अच्छी गतिविधि के रूप में किया ज सकता है। पेय जल को आवश्यकतानुसार ही निकाला जाए। वायुमंडल में उत्सर्जित तरल का निवारण किया जाए।

बढ़ते औद्योगीकरण का मानकों के अनुरूप संचालन किया जाना चाहिए। जब प्रत्येक इकाई आवश्यक कदम उठाएगी तब निश्चित ही सतत् विकास की ओर अग्रसर होंगे।

प्रवासी भारतीयः अर्थव्यवस्था तथा हिंदी के विकास में योगदान

सतीश कुमार
वरिष्ठ अनुवादक

प्रवासी भारतीय दुनिया भर में फैले हुए हैं और इनकी संख्या करोड़ो में है। ये लोग विश्व के विभिन्न देशों में रहते हैं और काम करते हैं तथा मेजबान देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।

भारतीय प्रवासी की परिभाषाः प्रवासी भारतीय वे व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के हैं और विश्व के विभिन्न देशों में रहते हैं और काम करते हैं। इसमें वे व्यक्ति शामिल हैं जो भारत में जन्मे हैं और अब विदेश में रहते हैं, साथ ही उन व्यकितों को भी शामिल किया जाता है जो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेश में रहते हैं। इनका संबंध भारत की आजादी से बहुत पहले के समय का है।

प्रवासी भारतीय विश्व के विभिन्न देशो में रहते हैं, जिसमें से अधिकांश गल्फ देशों यथा संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान कतर, कुवैत, इराक, अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहते हैं।

प्रवासी भारतीय का इतिहास कम से कम 1500 वर्ष पुराना है। इनका संबंध भारत की आजादी से बहुत पहले के समय का है। इनके प्रवास को तीन चरणों में बांटा जा सकता है।

प्रथम चरणः इस चरण में राजस्थान, गुजरात और पंजाब के बंजारे अपनी यायावरी प्रवृत्ति के कारण भारत छोड़कर बाहर निकले और यूरोप, अमेरिका होते हुए संपूर्ण विश्व में फैल गए। इनमें से कुछ रोमा सिगनी और जिप्सी के नाम से जाने गए। उनकी भाषा रोमानी है, जो हिंदी की शब्द संपदा और व्याकरणिक संरचना वाली है।

दूसरा चरणः भारतीय प्रवासन का दूसरा चरण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से प्रारंभ होकर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक का है। इस दौरान ब्रिटिश और डच उपनिवेशों में मजदूरी करने के लिए भारतीयों को गिरमिट प्रथा के अंतर्गत बहला-फुसला कर और लालच देकर विदेश भेजा गया। इन प्रवासी भारतीयों को बड़ां दल मॉरीशस, त्रिनिडाड, दक्षिण अफ्रीका गयाना, सूरीनाम और फिजी दैसे देशों में पहुंचा। ये लोग अधिकांशतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी बिहार के थे और अवधी तथा भोजपुरी बोलते थे।

तीसरा चरणः भारतीय प्रवासन का तीसरा चरण भारत की स्वाधीनता के बाद प्रारंभ हुआ। इस दौरान स्वेच्छा से अपने देश को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए या अपने व्यापार को व्यापक बनाने के लिए भारतीय विदेश गए।

प्रवासी भारतीयों का आर्थिक योगदानः प्रवासी भारतीयों के योगदान को एक बृहद परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। वे अपने मेजबान देशों में करों का भुगतान करते हैं, रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं। इसके अलावा, वे भारत में भी अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है।

विदेशी मुद्रा भंडार में योगदानः प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए पैसे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं यह विदेशी मुद्रा भंडार भारत को अपने आयातों का भुगतान करने और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करते हैं।

रोजगार और उद्यमिताः प्रवासी भारतीय अपने मेजबान देशों मे रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। वे अपने खुद के व्यवसाय शुरू करते हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

ज्ञान और कौशल का हस्तांतरणः प्रवासी भारतीय अपने मेजबान देशों से ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं और इसे भारत में वापस लाते हैं। यह ज्ञान और कौशल का हस्तांतरण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद है।

इसी क्रम में प्रवासी भारतीयों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग, वित्त और बैंकिंग क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा तथा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रवासी भारतीयों ने वर्तमान दौर में मेजबान देशों की राजनीति को भी बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। मॉरीशस, त्रिनिदाद व टोबैगो, फिजी तथा अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में भारतीय मूल के व्यक्ति उच्चतम पदों पर पहुँच गए।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का विस्तार- प्रवासी भारतीयों ने हिंदी के प्रचार-प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने हिंदी पाठशालाएं और विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं और हिंदी साहित्य के प्रसार में मदद की है। मेजबान देश में हिंदी मीडिया और प्रकाशन के विकास के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें प्रकाशित की हैं। प्रवासी भारतीयों ने अपने मेजबान देशों में हिंदी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन जैसे हिंदी फिल्में, नाटक और संगीत कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी का प्रचार-प्रसार किया।

विश्व में मंदारिन, स्पेनिश, अंग्रेजी के बाद हिंदी चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी पड़ोसी देश नेपाल मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना जैसे गिरमिटिया देशों में अपनी मजबूत जड़े जमा चुकी है। हिंदी यहाँ उनके पूर्वजों की भाषा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित हुई है। इन पड़ोसी देशों के अलावा हिंदी रूस, चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गारिया,पोलैंड,हंगरी, ऑस्ट्रिया आदि देशों में फल-फूल रही है। ज्ञात है कि दुनिया भर में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पठन-पाठन और शोध के एक विषय के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा निजी प्रयासों से भी निरंतर फल-फूल रही है। इससे पता चलता है कि हिंदी को बड़ी तादाद में लोग जानते, समझते, बोलते और पढ़ते हैं।

वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रचार-प्रसार भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इस हेतु भारत का विदेश मंत्रालय आधिकारिक रूप से कार्यरत है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि मंत्रायलय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन करता है और साथ ही-साथ मॉरीशस में विश्व हिंदी सचिवालय का काम भी देखता है, जो दोनों गणराज्यों की एक द्विपक्षीय संस्था है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार की यह पहल हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में एक महत्व पूर्ण प्रयास है। इस संदर्भ में भारत सरकार हिंदी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसके लिए प्रत्येक 10 जनवरी को □विश्व हिंदी दिवस' मनाया जाता है। इसका आयोजन एक नियमित अंतराल पर किया जाता है। 'विश्व हिंदी सम्मेलन' दुनिया भर के विद्वानों और लेखकों को एक साथ लाने तथा हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार तथा इसकी उपलब्धियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करता है। विदेश मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन मेजबान देश के सहयोग से किया जाता रहा है। इन सम्मेलनों की मेजबानी विभिन्न देशों द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से हिंदी को बढ़ावा देने और प्रचार-प्रसार के लिए की जाती है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नादी, फिजी में किया गया था। इस प्रकार के विश्व हिंदी सम्मेलनों से हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए परस्पर विचार-विमर्श तथा भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है।

इसी क्रम में, साझे प्रयास रूप में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना ऐतिहासिक तथा बहुत बड़ा कदम है। 'विश्व हिंदी सचिवालय' की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव 10 जनवरी, 1975 में नागपुर में प्रथम □विश्व हिंदी सम्मेलन' के दौरान मॉरीशस के पहले प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम द्वारा लाया गया था। सन् 1999 में एक समझौता ज्ञापन के तहत, मॉरीशस में एक द्विपक्षीय संस्था के रूप में □विश्व हिंदी सचिवालय' की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य ऐसी नीतियों तथा व्यवस्था का प्रसार करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी शिक्षण को सुविधाजनक बनाया जा सके, विश्व भर में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर हिंदी पठन-पाठन का प्रसार करना, हिंदी लेखको, प्रकाशनों, संस्थानों तथा विश्व भर में हिंदी बोलने वालों के बीच एक संजाल स्थापित करना इत्यादि कार्य करता है। □विश्व हिंदी सचिवालय' प्रति वर्ष हिंदी पत्रिका निकालता है, जिसमें विश्व भर में हो रही गतिविधियों की सूचना प्राप्त होती है।

> "भारतवर्ष के लिये देवनागरी साधारण लिपि हो सकती है और हिंदी भाषा ही सर्वसाधारण की भाषा होने के उपयुक्त है।"
>
> -शारदाचरण मित्र

मेरो नाम खीम बहादुर राना

खीम बहादुर राना
एम.टी.एस.

□मेरो नाम खीम बहादुर राना□। नाम नेपाली है फिर भी दिल कश्मीरी है। आज 33 साल श्रीनगर में बिताने के बाद मैं कश्मीर की खूबसूरती एवं तहजीब का ग़ुलाम हो गया हूँ। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं कश्मीरी बोल भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। मेरी सुबह की शुरुआत नारायणी नदी से नहीं डल झील के दर्शन से शुरु होती है। चिनार के पेड़ों पर चिड़ियों की चहक एवं हवाओं की महक से मैं आज भी जवान हूँ।

सेंटॉर होटल ही इतने दिनों से मेरा घर हो गया था लेकिन अफसोस है कि इसे खाली करके जाना पड़ रहा है। सुना है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यही सोचकर थोड़ा बहुत दुख कम हो जाता है। साथ ही इस बात की भी खुशी है कि मैं डल झील से ज्यादा दूर नहीं रहूंगा।

"आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी न होनी चाहिए।"

-महावीर प्रसाद द्विवेदी-

हिंदी पख़वाडा 2024 की कुछ झलकियां

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार
जम्मू व कश्मीर, श्रीनगर

चिनार ध्वनि चतुर्थ अंक के विमोचन की कुछ झलकियां

प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा) श्रीनगर में हुए हिंदी पख़वाड़ा के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं की सूची

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	विजेताओं के नाम एवं पदनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पुरस्कार
01	श्रुत लेखन (हिंदी भाषी हेतु)	हेमंत गोयल, लेखापरीक्षक	प्रथम
		अनामिका मिश्रा, आशुलिपिक	द्वितीय
		दीपक मिश्रा, लेखापरीक्षक	तृतीय
		प्रिया सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	सांत्वना-1
		अमित कुमार-I, लेखापरीक्षक	सांत्वना-2
02	श्रुत लेखन (हिंदीत्तर भाषी हेतु)	खिम बहादुर राना, एमटीएस	प्रथम
		इज़हार अहमद शाह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक	द्वितीय
		एजाज अहमद सोफी, लेखापरीक्षक	तृतीय
		मुश्ताक अहमद भट्ट, लिपिक	सांत्वना-1
		तारिक अहमद मट्टू, लेखापरीक्षक	सांत्वना-2
03	निबंध (हिंदी भाषी हेतु)	मो. शादाब, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	प्रथम
		अनामिका मिश्रा, आशुलिपिक	द्वितीय
		पुनीत कुमार, लेखापरीक्षक	तृतीय
		सागर कुमार, लेखापरीक्षक	सांत्वना-1
		सुमित रोहिल्ला, लेखापरीक्षक	सांत्वना-2
04	निबंध (हिंदीत्तर भाषी हेतु)	इज़हार अहमद शाह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक	प्रथम
		एजाज अहमद सोफी, लेखापरीक्षक	द्वितीय
		खिम बहादुर राना, एमटीएस	तृतीय
		मुश्ताक अहमद भट्ट, लिपिक	सांत्वना-1
		बलबीर सिंह, लिपिक	सांत्वना-2
05	भाषण (हिंदी भाषी हेतु)	योगेश कुमार, लेखापरीक्षक	प्रथम
		अनामिका मिश्रा, आशुलिपिक	द्वितीय
		विपुल चौहान, लेखापरीक्षक	तृतीय
		पुनीत कुमार, लेखापरीक्षक	सांत्वना-1
		दीपक मिश्रा, लेखापरीक्षक	सांत्वना-2
06	भाषण (हिंदीत्तर भाषी हेतु)	इज़हार अहमद शाह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक	प्रथम
		मंज़ूर अहमद डार, सहायक पर्यवेक्षक	द्वितीय
		सैय्यद मो. शफी बुखारी, सहायक पर्यवेक्षक	तृतीय
		खिम बहादुर राना, एमटीएस	सांत्वना-1
		एजाज अहमद सोफी, लेखापरीक्षक	सांत्वना-2
	पत्र (हिंदी भाषी हेतु)	पुनीत कुमार, लेखापरीक्षक	प्रथम

07		सुमित रोहिल्ला, लेखापरीक्षक	द्वितीय
		कृष्ण कुमार, लेखापरीक्षक	तृतीय
		दीपक मिश्रा, लेखापरीक्षक	सांत्वना-1
		विकास चौधरी, लेखापरीक्षक	सांत्वना-2
08	पत्र (हिंदीत्तर भाषी हेतु)	सरबजोत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	प्रथम
		एजाज अहमद सोफी, लेखापरीक्षक	द्वितीय
		मुश्ताक अहमद भट, लिपिक	तृतीय
		इज़हार अहमद शाह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक	सांत्वना-1
		तिलक राज शर्मा, लिपिक	सांत्वना-2
09	वाचन (हिंदीत्तर भाषी हेतु)	सरबजोत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	प्रथम
		जहूर अहमद पर्रे, लिपिक	द्वितीय
		खिम बहादुर राना, एमटीएस	तृतीय
		इज़हार अहमद शाह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक	सांत्वना-1
		जाविद अहमद खान, पर्यवेक्षक	सांत्वना-2
10	टिप्पण लेखन (हिंदी भाषी हेतु)	अमित कुमार राठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	प्रथम
		जयराम शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	द्वितीय
		प्रिया सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	तृतीय
		अनामिका मिश्रा, आशुलिपिक	सांत्वना-1
		पुनीत कुमार, लेखापरीक्षक	सांत्वना-2
11	टिप्पण लेखन (हिंदीत्तर भाषी हेतु)	सरबजोत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	प्रथम
		बिलाल अहमद शेख, लेखापरीक्षक	द्वितीय
		एजाज अहमद सोफी, लेखापरीक्षक	तृतीय
		खिम बहादुर राना, एमटीएस	सांत्वना-1
		इज़हार अहमद शाह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक	सांत्वना-2

प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) श्रीनगर में हुए हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं की सूची

क्रम संख्या	प्रतियोगिता	श्रेणी	विजेता प्रतिभागी का नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम	परिणाम
1.	निबंध लेखन प्रतियोगिता	हिंदी भाषी	प्रवेश डागर	लेखाकार	प्रथम
			विनय कुमार	सहायक लेखा अधिकारी	द्वितीय
			श्रवण कुमार गोस्वामी	लेखाकार	तृतीय
			अंकित कुमार	सहायक लेखा अधिकारी	सांत्वना
		हिंदीतर भाषी	निलोफर तबस्सुम	लेखाकार	प्रथम
			नजीर अहमद पीरजादा	वरि. लेखा अधिकारी	द्वितीय
			एजाज अहमद	वरि. लेखा अधिकारी	तृतीय
			हुसैन डार	लेखाकार	सांत्वना
2.	टिप्पण/आलेखन	हिंदी भाषी	अंकित कुमार	सहायक लेखा अधिकारी	प्रथम
			उदय भान सिंह	सहायक लेखा अधिकारी	द्वितीय
			विकास थपलियाल	लेखाकार	तृतीय
			श्रवण कुमार गोस्वामी	लेखाकार	सांत्वना
		हिंदीतर भाषी	एजाज अहमद	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	प्रथम
			नजीर अहमद पीरजादा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	द्वितीय
			शेख शफआत हुसैन	सहायक पर्यवेक्षक	तृतीय
			रिफत निसा कादरी	सहायक पर्यवेक्षक	सांत्वना
3.	श्रुतलेखन प्रतियोगिता	हिंदी भाषी	प्रतीक कुमार यादव	लेखाकार	प्रथम
			यशवंत कुमार गुप्ता	लेखाकार	द्वितीय
			प्रवेश डागर	लेखाकार	तृतीय
			वेद प्रकाश मद्धेशिया	लेखाकार	सांत्वना
		हिंदीतर भाषी	तारिक अहमद लोन	वरिष्ठ लेखाकार	प्रथम
			मोहम्मद अमीन	सहायक पर्यवेक्षक	द्वितीय
			साकिब रौफ	एम.टी.एस.	तृतीय
			अयाज दीन शाला	वरिष्ठ लेखाकार	सांत्वना

4.	**प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता**	**हिंदी भाषी**	उदय भान सिंह	सहायक लेखा अधिकारी	प्रथम
			अनुज सिंह	सहायक लेखा अधिकारी	द्वितीय
			नीरज जांगिड़	लेखाकार	तृतीय
			अनुराग पटेल	लेखाकार	सांत्वना
		हिंदीतर भाषी	निलोफर तबस्सुम	लेखाकार	प्रथम
			तारिक अहमद लोन	वरिष्ठ लेखाकार	द्वितीय
			अयाज दीन शाला	वरिष्ठ लेखाकार	तृतीय
			मकसूद अहमद	वरिष्ठ लेखाकार	सांत्वना
5.	**वाचन प्रतियोगिता**	**केवल हिंदीतर भाषी**	रूकया रसूल	लेखाकार	प्रथम
			रेहाना अख्तर	वरिष्ठ लेखाकार	द्वितीय
			निलोफर तबस्सुम	लेखाकार	तृतीय
			फयाज अहमद भट्ट	लिपिक	सांत्वना
6.	**वाद-विवाद प्रतियोगिता**	**हिंदी भाषी**	समरेश बहादुर	सहायक लेखा अधिकारी	प्रथम
			संतोष कुमार	लेखाकार	द्वितीय
			विनिता	सहायक लेखा अधिकारी	तृतीय
			अंकित कन्नौजिया	लेखाकार	सांत्वना
		हिंदीतर भाषी	शेख शफआत हुसैन	सहा. पर्यवेक्षक	प्रथम
			साकिब रौफ	एमटीएस	द्वितीय
			शफात गुल खान	पर्यवेक्षक	तृतीय
			नजीर अहमद जरगर	सहायक पर्यवेक्षक	सांत्वना

शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लेखापरीक्षा अधिदेश और कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श हेतु आयोजित कार्यशाला

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.08.2025 को आवास एवं शहरी विकास सचिव तथा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के 31 अधिकारियों के साथ संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा अधिदेश और कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श हेतु एक कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:-

शुरुआत में, यह विभाग के ध्यान में लाया गया था कि हम नगरपालिका अधिनियम 2000 (2020 में संशोधित) के संशोधित प्रावधानों के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों के एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। परिणामस्वरूप, हमें शहरी स्थानीय निकायों के अनुपालन, निष्पादन एवं वित्तीय लेखापरीक्षा करने का आदेश दिया गया है। वर्तमान में, हम केवल अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा कर रहे हैं, जबकि लेखाओं का प्रमाणीकरण दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली पर लेखाओं के संकलन के लिए नहीं किया जा रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि शहरी स्थानीय निकायों केवल प्राप्ति और भुगतान लेखाओं और आय और व्यय लेखा तैयार कर रहे हैं और बैलेंस शीट इस तथ्य के बावजूद तैयार नहीं की जा रही है कि शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित आदर्श लेखांकन संहिता में सभी वित्तीय विवरण जैसे प्राप्ति और भुगतान, आय और व्यय और बैलेंस शीट तैयार करने की परिकल्पना की गई है ताकि शहरी स्थानीय निकायों अपनी वित्तीय स्थिति की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शा सकें।

विभाग को यह भी सूचित किया गया कि हमने वित्त विभाग से शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए नए सिरे से कार्य सौंपने का अनुरोध किया है।

आवास एवं शहरी विकास विभाग के सचिव ने इन तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि विभाग ने एक आईटी फर्म और चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त किया है, जो रिमोट ऑडिट के लिए ऑनलाइन डेटा उपलब्ध कराएँगे। उनके द्वारा यह प्रक्रिया पूरी होते ही, हम तुरंत लेखापरीक्षा शुरू कर देंगे।

कार्यशाला के दौरान, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म प्रसाद गुप्ता जे एंड कंपनी ने उत्तर प्रदेश में अपने अनुभव साझा किए, जहाँ वे राज्य में वित्तीय विवरण और दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली तैयार करने में लगे हुए थे। उन्होंने प्रारंभिक बैलेंस शीट तैयार करने के तौर-तरीकों के महत्व

पर ज़ोर दिया, जिन्हें वार्षिक लेखाओं के संकलन को सुगम बनाने के लिए सबसे पहले तय किया जाना चाहिए।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.08.2025 को आवास एवं शहरी विकास सचिव तथा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के 31 अधिकारियों के साथ आयोजित की गई कार्यशाला की कुछ झलकियां:

"हमारी हिन्दी भाषा का साहित्य किसी भी दूसरी भारतीय भाषा से किसी अंश से कम नहीं है।"

-(रायबहादुर) रामरणविजय सिंह-

प्रशासनिक शब्दावली

अंग्रेजी में	हिंदी में
Pr. Accountant General	प्रधान महालेखाकार
Sr. Dy. Accountant General	वरिष्ठ उप महालेखाकार
Dy. Accountant General	उप महालेखाकार
Sr. Accountants Officer	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
Sr. Audit Officer	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
Assistant Accounts Officer	सहायक लेखा अधिकारी
Assistant Audit Officer	सहायक लेखापरीक्षा अधिकाररी
Accountant	लेखाकार
Auditor	लेखापरीक्षक
Sr. Accountant	वरिष्ठ लेखाकार
Sr. Auditor	वरिष्ठ लेखापरीक्षक
Supervisor	पर्यवेक्षक
Pay and Accounts Officer	वेतन एवं लेखा अधिकारी
Audit	लेखापरीक्षा
For approval please	अनुमोदनार्थ
Seen and returned with thanks	देखकर सधन्यवाद वापस किया जाता है
We have no further comments	हमें आगे और कुछ नहीं कहना है
The case is concerned with□□ section	यह मामला ....अनुभाग से संबंधित है
This requires administrative approval	इसके लिए प्रशासनिक अनुमोदन आवश्यक है
Orders may be issued	आदेश जारी कर दिए जाएं
Timely compliance may be ensured	समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए
Please discuss	कृपया चर्चा करें
Facts of the case may be furnished	मामले के तथ्य पेश करें
Orders may be issued	आदेश जारी किए जाएं
Issue reminder urgently	तुरंत अनुस्मारक भेजें
As above	जैसा ऊपर दिया गया है
As per rules	नियमानुसार
As proposed	यथा प्रस्तावित
As amended	यथा संशोधित
For perusal	अवलोकन के लिए
For onwards action	आगे भेजने के लिए
Please put up	कृपया प्रस्तुत करें
Please inform immediately	तुरंत सूचित कर दें
Passed for payment	भुगतान के लिए पास

For disposal	निपटान के लिए
For further action	आगे की कार्रवाई के लिए
No further action is necessary	आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं
Copy enclosed	प्रतिलिपि संलग्न है
Tour programme	दौरा कार्यक्रम
Submitted orders please	आदेशार्थ प्रस्तुत
Submitted for approval please	अनुमोदनार्थ प्रस्तुत
Kindly accord concurrence	कृपया सहमति प्रदान करें
Kindly review the case	कृपया मामले की समीक्षा करें
Explanation may be called for	स्पष्टीकरण मांगा जाए
Show case notice	कारण बताओ सूचना
Copy enclosed for ready reference	संदर्भ के लिए प्रति संलग्न है
As per details below	नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार
To be followed	अनुसरण किया जाए
Letter of request	अनुरोध पत्र
Resolution	संकल्प
Should be given top priority	परम अग्रता दी जाए
Coordination committee	समन्वय समिति
For signature	हस्ताक्षर के लिए
The final bill is not in the prescribed form	अंतिम बिल निर्धारित प्रपत्र में नहीं है
As early as possible	यथाशीघ्र
For sympathetic consideration	सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश

1. राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में जारी किए जाएं । राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित अथवा जारी किए जाएं ।

2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।

3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं। इसके अंतर्गत अधिसूचित बैंकों की शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिंदी में किए जाएं:-

- ग्राहकों द्वारा हिंदी में भरे गए आवेदनों और अंग्रेजी में भरे गए आवेदनों पर ग्राहकों की सहमति से जारी किए जाने वाले मांग ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी प्रकार की सूचियां, विवरणियां, सावधि जमा रसीदें, चैक बुक संबंधी पत्रादि, दैनिक बही, मस्टररोल, प्रेषण बही, पास बुक, लॉग बुक में प्रविष्टियां, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा एवं ग्राहक सेवा संबंधी कार्य, नये खाते खोलना, लिफाफों पर पते लिखना, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास निर्माण अग्रिम, चिकित्सा संबंधी कार्य, बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त आदि ।

4. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अनुसार केंद्र सरकार, ऐसे अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारुपण और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिंदी में करने के लिए आदेश जारी कर सकती है, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट हों ।

5. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी और मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी । तदनुसार, केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा है कि वे सभी मैनुअल, संहिताएं एवं प्रक्रिया संबंधी असांविधिक साहित्य से संबंधित अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य अनुवाद के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में भेजें।

6. राजभाषा नियम,1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो तथा इस प्रयोजन से उपयुक्त एवं प्रभावकारी जांच बिंदु बनाए जाएं ।

7. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों पर पुन: बल दिया है | ये सुझाव हैं :- सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी के अंतर को कम करना, देश की दूसरी भाषाओं से हिंदी को और समृद्ध करने के लिए उपाय करना, दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करना, दूसरी भारतीय भाषाओं से अच्छे शब्दों को खोजकर हिंदी भाषा में जोड़ना, हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में सुनिश्चित करना जिससे सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में बाधक नहीं, सहायक हो |

8. राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के सभी सचिवों/विभिन्न सरकारी संगठनों के प्रमुखों से आग्रह किया है कि जब वे प्रत्येक माह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करें तो वे उनमें हिंदी में सरकारी काम-काज में हुई प्रगति की भी समीक्षा करें और अपने संगठन में राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करें | साथ ही, संयुक्त सचिव (प्रशासन)/संगठन के प्रशासनिक प्रमुख को हिंदी कार्यान्वयन तथा वर्ष की प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए |

9. कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा का संवर्ग गठित होना चाहिए, जो कि कुल पदों के अनुरूप हो । मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी पदाधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान वेतनमान व पदनाम दिए जाएं ।

10. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप से, हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए।

11. केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा सभी सेवाकालीन, विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं (अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाओं सहित) में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने का विकल्प दिया जाए। प्रश्न पत्र अनिवार्यतः दोनों भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी, में तैयार कराए जाएं। जहां साक्षात्कार लिया जाना हो, वहां अभ्यर्थियों को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देने की अनुमति दी जाए।

12. सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोध पत्र संबंधित मंत्रालय/विभाग और कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित हों।

13. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि हिंदी संगोष्ठियों का आयोजन करें ।

14. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यत: हिंदी माध्यम से हो । 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणार्थी की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

15. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा कोई भी गैर सरकारी संस्था केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं की गई है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही देश भर में काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण निःशुल्क देते हैं एवं राजभाषा पर विचार-विमर्श के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा संबंधित कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर लीला' राजभाषा के माध्यम से अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अतः गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जा रहे राजभाषा के प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सरकारी कोष से अनावश्यक धन खर्च करना उचित नहीं है।

16. विभिन्न कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यशाला की न्यूनतम अवधि एक कार्य दिवस की होगी। कार्यशाला में न्यूनतम दो तिहाई समय कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए।

17. केंद्र सरकार के कार्यालयों की मांग पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

18. केंद्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिंदी टंककों व हिंदी आशुलिपिकों से संबंधित निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तब तक उनमें केवल हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक ही भर्ती किए जाएं।

19. अनुवाद कार्य तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुवाद के प्रशिक्षण के लिए नामित किया जा सकता है, जिन्हें स्नातक स्तर पर हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तथा जिनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय द्वारा अनुवाद कार्य के लिए किया जा सकता है।

20. अनुवादकों को, मानक शब्दकोश (अंग्रेजी-हिंदी व हिंदी-अंग्रेजी) तथा अन्य तकनीकी शब्दावलियों के रूप में सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

21. भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है ताकि सरकारी कामकाज में वे इसका प्रयोग कर सकें। तथापि, अधिकांश अधिकारी सेवा में आने के पश्चात सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग नहीं करते। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों में सही संदेश नहीं जाता। परिणामस्वरूप, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाता। केंद्र सरकार के कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में गति आएगी।

22. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो ।

23. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय अपने दायित्वों से संबंधित विषयों से संबधित शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

24. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने कार्यालय में हिंदी में कार्य का माहौल तैयार करने के लिए हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं । इन पत्रिकाओं में कार्यालय की सामान्य गतिविधियों तथा उस कार्यालय के कामकाज से संबंधित मौलिक आलेख प्रकाशित किए जाएं । साथ ही राजभाषा नीति के प्रमुख प्रावधानों का भी उल्लेख अवश्य हो । केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन पत्रिकाओं के ई-वर्जन तैयार करें और इन्हें राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म 'ई-पत्रिका पुस्तकालय' पर अपलोड करें ताकि गृह-पत्रिकाएं पाठकों को सहज तरीके से प्राप्त हो सकें ।

25. यह देखा गया है कि अनेक विभागों द्वारा वेबसाइट पर या तो सूचना हिंदी में नहीं दी जाती या कुछ मामलों में यह पूर्णतया हिंदी में उपलब्ध नहीं है । अतः वेबसाइट हिंदी में विकसित और नियमित रूप से अद्यतित करवाएं।

26. राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हर वर्ष कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए 5 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षु कंप्यूटर पर हिंदी में काम कर सकेंगे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

27. राजभाषा विभाग द्वारा मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'राजभाषा गौरव पुरस्कार' दिए जाते हैं । राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 से संशोधित **"राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना"** लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब भारत के नागरिकों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:-

(क) हिंदी में ज्ञान-विज्ञान संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(ख) न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(ग) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(घ) विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड/ स्वायत्त निकाय/ ट्रस्ट आदि, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा हिंदी गृह पत्रिकाओं के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाते हैं । इन दोनों पुरस्कार योजनाओं की जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट **www.rajbhasha.gov.in** पर उपलब्ध है ।

28. राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न संस्थाओं के लिंक उपलब्ध कराए हैं जिनके माध्यम से इन संस्थाओं की शब्दावली देखी जा सकती है । इस संबंध में यदि कार्यालयों द्वारा कोई अपनी शब्दावली तैयार की गई है तो वे उसे राजभाषा विभाग से साझा करें ताकि अन्य कार्यालय भी लाभान्वित हो सकें।

29. राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर ई- सरल हिंदी वाक्यकोश शीर्षक के अंतर्गत सामान्यत: अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले वाक्यों के हिंदी अनुवाद दिए गए हैं जिनके प्रयोग से अधिकारी फाइलों पर सामान्य टिप्पणियां आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं।

30. अंतरराष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए। विदेशों में निष्पादित संधियों और करारों के प्रामाणिक अनुवाद तैयार कराकर रिकॉर्ड के लिए फाइल में रखे जाएं।

31. हिंदीतर राज्यों में बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट्ट तथा दिशा संकेतकों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में, प्रयोग की जानी चाहिए ।

32. प्रशिक्षण और कार्यशालाओं सहित राजभाषा हिंदी संबंधी कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा व समुचित स्थान एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक तरह से कर सकें ।

33. हमें अपने कार्य-व्यवहार में आम जीवन में प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर बल देना चाहिए ताकि सामान्य नागरिक सरकारी नीतियों/ कार्यक्रमों के बारे में सरल हिंदी में जानकारी प्राप्त कर सकें।

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को **100%** 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को **100%** 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को **65%** 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **100%** के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को **90%** 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को **90%** 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को **55%** 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **90%** के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को **55%** 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को **55%** 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को **55%** 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **55%** के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	**100%**	**100%**	**100%**
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	**100%**	**100%**	**100%**
13.	(**i**) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)
	(**ii**) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)
	(**iii**) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	40%	30%	20%
			(न्यूनतम अनुभाग) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, 'क' क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, 'ख' क्षेत्र में 25% और 'ग' क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए ।	

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय श्रीनगर से वर्ष 2024-24 के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारियों की सूची

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्री/सुश्री)	पद	सेवानिवृत्ति तिथि
1	रीता कुमारी वांगनू	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	30.04.2024
2	सतीश कुमार भट	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	30.04.2024
3	एज़ाज अहमद टांगा	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.05.2024
4	अनिता काक	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.07.2024
5	बालकृष्ण नजर	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.08.2024
6	संजय कुमार-3	स्टाफ कार ड्राईवर	30.09.2024
7	मंजीत सिंह	पर्यवेक्षक	31.10.2024
8	वीर कृष्ण भट	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	28.02.2025
9	हरि कृष्ण कौल	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	28.02.2025
10	महाराज कृष्ण	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.03.2025
11	इंदर कृष्ण कौल	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.03.2025
12	गुलाम हसन राथर	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.03.2025
13	मोहम्मद अयूब पंपोरी	वरिष्ठ निजी सचिव	31.03.2025

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय श्रीनगर से वर्ष 2024-24 के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारियों की सूची

क्रम सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	राजनाथ कौल	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.04.2024
2.	अनील हाशिया	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.06.2024
3.	सुनील कुमार टिक्कू	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.11.2024
4.	रोमेश खुंडा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.12.2024
5.	अशोक कुमार कौल	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	28.02.2025
6.	राजा जय सप्रू	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.03.2025
7.	महाराज कृष्ण भट	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.03.2025
8.	सुनीता धर-I पंडित	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.03.2025
9.	जय कृष्ण गंजू	पर्यवेक्षक	30.04.2024
10.	बिलाल अहमद भट	पर्यवेक्षक	30.04.2024
11.	पवन कुमार भट	पर्यवेक्षक	31.05.2024
12.	जुल्फिकार अहमद बहादुर	पर्यवेक्षक	28.02.2025
13.	इश्तियाक अहमद भट	पर्यवेक्षक	31.03.2025
14.	त्रिलोक सिंह	पर्यवेक्षक	30.09.2024

15.	राजकुमार-II	पर्यवेक्षक	31.03.2025
16.	फिरोज अहमद भट	पर्यवेक्षक	31.03.2025
17.	उपेंद्र पाल कौर	सहायक पर्यवेक्षक	30.04.2024
18.	मोहम्मद अमीम नकाश	सहायक पर्यवेक्षक	30.04.2024
19.	खुर्शीद अहमद ज़रगर	सहायक पर्यवेक्षक	30.04.2024
20.	तेज कुमार कौल	सहायक पर्यवेक्षक	30.06.2024
21.	ऊषा ठाकुर	सहायक पर्यवेक्षक	30.06.2024
22.	सरोजनी कुमारी मट्टू	सहायक पर्यवेक्षक	30.06.2024
23.	मुबीना अख्तर	सहायक पर्यवेक्षक	31.07.2024
24.	शेष राम	सहायक पर्यवेक्षक	30.09.2024
25.	सुनीता कुमारी	सहायक पर्यवेक्षक	31.10.2024
26.	राजन सिंह	सहायक पर्यवेक्षक	30.11.2024
27.	सतीश कुमार II	सहायक पर्यवेक्षक	31.12.2024
28.	सुनीता पंडिता	सहायक पर्यवेक्षक	31.12.2024
29.	गीता दुदा	सहायक पर्यवेक्षक	31.12.2024
30.	यश पाल	सहायक पर्यवेक्षक	31.01.2025
31.	मनोज कुमार पंजाबी	सहायक पर्यवेक्षक	28.02.2025
32.	रतन लाल भट	सहायक पर्यवेक्षक	31.03.2025
33.	शबीर अहमद शाहनी	सहायक पर्यवेक्षक	31.03.2025
34.	रफीक अहमद लिसा	वरिष्ठ लेखाकार	30.04.2024
35.	गुलाम रसूल खान	वरिष्ठ लेखाकार	30.04.2024
36.	अशोक कुमार	वरिष्ठ लेखाकार	31.08.2024
37.	मजफर अहमद भट	वरिष्ठ लेखाकार	31.01.2025
38.	संजय कौल-II	वरिष्ठ लेखाकार	28.02.2025
39.	नीरजा जाडू	वरिष्ठ लेखाकार	31.03.2025
40.	भारत भूषण मिस्री	वरिष्ठ लेखाकार	31.03.2025
41.	देवराज-II (भू.पू. एसएम)	लेखाकार	30.06.2024
42.	समीर कुमार पलोई (भू.पू. एसएम)	लेखाकार	30.09.2024
43.	कृष्ण सिंह राणा	एमटीएस	30.04.2024
44.	मोहन सिंह	एमटीएस	31.05.2024
45.	गुरदास	एमटीएस	28.02.2025
46.	तारिक अहमद	हलवाई	31.03.2025

(कार्यालय के उपरोक्त साथियों को सेवानिवृत्त होने पर चिनार ध्वनि परिवार की ओर से उनके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु होने की शुभकामनाएं।)

स्वतंत्रता दिवस की कुछ झलकियां

रामबन में आयोजित पेंशन अदालत

प्रधान महालेखाकार महोदय के अनुमोदन के अनुसार 28 जून 2025 को जिला प्रशासनिक भवन, मैत्रा, रामबन के सभागार में एक पेंशन अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व उप महालेखाकार (पेंशन) द्वारा किया गया व कार्यालय से आठ अधिकारियों/कार्मिकों की एक नामित टीम द्वारा सहयोग किया गया।

➢ **प्रचार व सहभागिता**

- पेंशनभोगियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.), पेंशन संस्वीकरण प्राधिकरणों (पी.एस.ए.), तथा राजकोष अधिकारियों को इस कार्यक्रम की सूचना हेतु जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया गया।
- चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थितियों के बावजूद, अदालत में अत्यधिक संख्या में हितधारकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता देखी गई, जो इस पहल की मजबूत पहुंच और प्रासंगिकता को दर्शाता है।

➢ **कार्यक्रम की कार्यवाहियाँ**

- टीम का पूर्वाह्न 11:30 बजे के लगभग कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ, सभागार में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण कार्यवाही अपराह्न 12:00 बजे आरंभ हुई।
- सत्र का आरंभ जिला राजकोष अधिकारी के स्वागत भाषण और परिचयात्मक संबोधन से हुआ, जिसके बाद उप महालेखाकार (पेंशन) ने संक्षिप्त जानकारी दी।
- एलईडी स्क्रीन के माध्यम से पेंशन और परिवार पेंशन मामलों की तैयारी पर केंद्रित एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। इससे आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और पेंशन संस्वीकरण प्राधिकरणों के लिए प्रक्रियात्मक पक्षों को प्रशिक्षित और स्पष्ट करने में सहायता मिली।

➢ **परस्पर संवादात्मक सत्र और शिकायत निवारण**

- पेंशनभोगियों और अधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और चिंताओं के समाधान के लिए एक समूह चर्चा सत्र आयोजित किया गया।
- कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि अन्य शिकायतों को सत्यापन और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए औपचारिक रूप से दर्ज किया गया।
- सभी दर्ज शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पेंशन अनुभागों को भेज दिया गया।

➢ **मीडिया कवरेज**

- जिला प्रशासन ने कार्यक्रम के कवरेज के लिए मीडिया कवरेज की सुविधा प्रदान की।
- पेंशन अदालत को स्थानीय समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रमुखता से स्थान मिला, जिससे जन जागरूकता और पारदर्शिता बढ़ी। संबंधित मीडिया लिंक और क्लिपिंग का दस्तावेजीकरण किया गया।
- लिंक:

    1. समाचार पत्र क्लिप1. रामबन में आयोजित पेंशन अदालत - Jammu Links News
       क्लिप 2 28 जून को रामबन में पेंशन अदालत - Early Times Newspaper Jammu Kashmir
    2. वीडियो लिंक: रामबन में आयोजित पेंशन अदालत Pension Adalat held at Ramban

➢ **पेंशन अदालत की झलकियां**

निम्नलिखित फोटो जिले में आयोजित पेंशन अदालत के प्रमुख क्षणों को दर्शाते हैं।

जिला मुख्यालय, शोपियां में आयोजित पेंशन अदालत

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) तथा उप महालेखाकार (पेंशन) की अध्यक्षता में दिनांक 26.07.2025 को जिला मुख्यालय, शोपियां में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया।

जिला राजकोष अधिकारी, शोपियां सहित जिला के पीएसए/डीडीओ/पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों ने पेंशन अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज की।

कार्यक्रम समारोह का उदघाटन प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) ने किया और पेंशन अदालत की आवश्यकता के संबंध में जनसमूह के साथ अपने विचारों को साझा किया।

श्री नजीर अहमद पीरजादा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा सेवानिवृति/मृत्यु से छह माह पूर्व अधिवर्षिता प्राप्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन व परिवार पेंशन मामलों की तैयारी के संबंध में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। उक्त के संबंध में सभी पीएसए/डीडीओ को एक सामान्य जानकारी प्रदान की गई और अदालत में उपस्थित पीएसए/डीडीओ ने प्रधान महालेखाकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की।

पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के उपरांत, इस कार्यालय की टीम और पीएसए/डीडीओ के मध्य पेंशन व परिवार पेंशन मामलों के निपटान से संबंधित प्रश्नोत्तर आरंभ हो गए। लगभग 250 पीएसए/डीडीओ/पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों ने पेंशन अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज की।

पेंशन अदालत के दौरान सभी उपस्थित लोगों ने प्रधान महालेखाकार द्वारा उठाए गए कदम व पेंशन अदालत की भूमिका की सराहना की और भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भी अपने विचार साझा किए।

पेंशन अदालत, शोपियां की झलकियां

लेखापरीक्षा दिवस-2024 की कुछ झलकियां

इशिता राठी सुपुत्री श्री पी. के. राठी, उप महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) द्वारा पेंसिल से निर्मित स्कैच

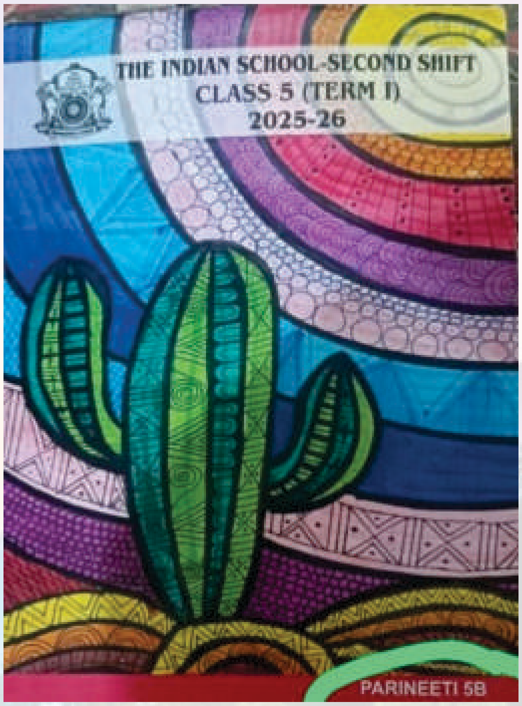

परिणीति रेवाड़िया सुपुत्री श्री दीपक कुमार, कनिष्ठ अनुवादक द्वारा हस्त निर्मित चित्र